[2022] 17 एस. सी. आर 1122

इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2003 का आई. ए. No.1000)

(1995 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 202 में)

3 जून, 2022

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और

अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

पर्यावरण कानून-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972-वन्यजीव

अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आवेदनों का वर्तमान समूह विशेष रूप से राजस्थान राज्य में जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी. ई. सी.) की एक रिपोर्ट से उत्पन्न होता है-रिपोर्ट में मुख्य रूप से निजी खनिकों द्वारा संरक्षित वन के दोहन के बारे में बताया गया है जिसमें ज्यादातर सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अस्थायी कार्य परमिट के साथ हैं-सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिशों के सेट के साथ रिपोर्ट को एक अंतर्वर्ती आवेदन में बदल दिया था-दूसरे में की गई सिफारिशें

सी. ई. सी. की रिपोर्ट, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य से परे चली गई और पूरे देश में संरक्षित वनों के आसपास सुरक्षा क्षेत्रों की पहचान और घोषणा से संबंधित थी-वर्तमान आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने दो मुद्दों यानी खनन के दायरे पर विचार किया।

राजस्थान राज्य (जमुआ रामगढ़) में एक वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास की गतिविधियाँ और वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ई. एस. जेड.) निर्धारित करनाः

प्रत्येक संरक्षित वन जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य है, उसके पास ऐसे संरक्षित क्षेत्र की सीमांकित सीमा से न्यूनतम एक किलोमीटर का ई. एस. जेड. होना चाहिए-जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के लिए, यह 500 मीटर होना चाहिए-यदि ई. एस. जेड. पहले से ही कानून के अनुसार निर्धारित है जो एक किलोमीटर बफर ज़ोन से परे जाता है, तो ई. एस. जेड. के रूप में व्यापक मार्जिन प्रबल होगा-राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी-यदि कोई गतिविधि पहले से ही किसी भी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के एक किलोमीटर या विस्तारित बफर ज़ोन (ई. एस. जेड.) के भीतर की जा रही है जो निषिद्ध गतिविधियों के दायरे में नहीं आती है, तो ऐसी गतिविधियाँ प्रधान मुख्य संरक्षक की अनुमति से जारी रह सकती हैं।

प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वनों की संख्या-ई. एस. जेड. की न्यूनतम चौड़ाई को भारी जनहित में कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए

1122 इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सी. ई. सी. और एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. से संपर्क करेंगे और ये दोनों निकाय अपनी-अपनी जानकारी देंगे।

न्यायालय के समक्ष राय/सिफारिशें-अभयारण्यों या राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में जिनके लिए किसी राज्य या संघ का प्रस्ताव है।

क्षेत्र नहीं दिया गया है, ई. एस. जेड. के रूप में 10 किलोमीटर का बफर जोन लागू किया जाएगा-सी. ई. सी. इस न्यायालय के किसी भी वैधानिक प्रावधान या आदेश का उल्लंघन करते हुए जमुआ रामगढ़ अभयारण्य के भीतर खनन गतिविधियों में शामिल प्रत्येक खनिक से वसूल किए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित करेगा-क्षतिपूर्ति के लिए विशिष्ट सिफारिशें। वनरोपण, सुधार, डंपिंग के बोझ को दूर करने के साथ-साथ वन संसाधनों के क्षरण के लिए मौद्रिक इकाइयों में क्षतिपूर्ति भी की जाएगी-उक्त अभयारण्य के भीतर या परिधि में स्थित मिट्टी को स्थानांतरित करने वाले उपकरणों और अन्य मशीनरी को जब्त करने के संबंध में सिफारिशों का एक और सेट निम्नलिखित द्वारा किया जाएगाः

सीईसी।

आई. ए. का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1. राज्य की भूमिका तत्काल आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने वाले या उत्पन्न करने वाले तक सीमित नहीं हो सकती है। राज्य के भाग्य का उत्थान। राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक न्यासी के रूप में भी कार्य करना होगा ताकि सतत विकास हो सके।

लंबी अवधि में हासिल किया। राज्य की ऐसी भूमिका आज इतिहास के किसी भी समय के खतरे की तुलना में अधिक प्रासंगिक है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली जलवायु आपदा। इस न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम के मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। कमल नाथ और अन्य लोगों ने कहा कि सार्वजनिक न्यास सिद्धांत देश के कानून का हिस्सा है। [पैरा 28] [1152 डी-एफ]

2. इस न्यायालय की राय में, 9 फरवरी 2011 को बनाए गए दिशानिर्देश उचित प्रतीत होते हैं और इन विचारों को स्वीकार करते हैं -

स्थायी समिति ने कहा कि ई. एस. जेड. को बनाए रखने के लिए प्रत्येक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में समान दिशानिर्देश संभव नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, इस न्यायालय की राय है कि संरक्षित वनों के संबंध में न्यूनतम 1 किलोमीटर ई. एस. जेड. की चौड़ाई बनाए रखी जानी चाहिए, जो इसका हिस्सा हैं।

श्रेणी बी संरक्षित वनों के संबंध में सी. ई. सी. की सिफारिशें। यह परिवर्तनों के अधीन मानक सूत्र होगा।

विशेष परिस्थितियों में। इस न्यायालय ने सी. ई. सी. [2022] 17 एस. सी. आर. पर विचार किया है।

यह सिफारिश कि ई. एस. जेड. को संरक्षित वन से आच्छादित क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, लेकिन स्थायी समिति का यह विचार कि संरक्षित वन का क्षेत्र हमेशा उचित मानदंड नहीं हो सकता है, भी विचार के योग्य है। इससे पहले यह तर्क दिया गया था कि 1 किलोमीटर चौड़ा "नो-डेवलपमेंट-ज़ोन" सभी मामलों में संभव नहीं हो सकता है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए विशिष्ट उदाहरण दिए गए थे।

और क्रमशः मुंबई में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और चेन्नई महानगर जिसमें शहरी गतिविधियाँ बहुत निकटता में हैं। ये अभयारण्य विशेष मामले बनाएँगे। [पैरा 42] [1162-बी-ई]

3. विशेष रूप से जमुआ रामगढ़ अभयारण्य की ओर मुड़ते हुए, सीईसी की पहली रिपोर्ट में 100 मीटर को ईएसजेड के रूप में प्रस्तावित किया गया था। दूसरी रिपोर्ट में, हालांकि, श्रेणी 'बी' के तहत आने वाले सभी संरक्षित वनों के लिए एक किलोमीटर चौड़ाई की सिफारिश की गई है। अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, उक्त अभयारण्य उस श्रेणी में आता है। 4 अगस्त 2006 को पारित इस न्यायालय के आदेश में, समान सीमा, यानी बफर ज़ोन के रूप में एक किलोमीटर निर्धारित किया गया है। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य से संबंधित दिए गए तथ्यों में, हमारी राय में राजस्थान राज्य की 1994 की खनिज नीति में 25 मीटर का अंतर काफी अपर्याप्त है। हालाँकि, यह न्यायालय जमुआ रामगढ़ अभयारण्य को ईएसजेड तय करने के लिए एक विशेष मामले के रूप में मानता है क्योंकि अतीत में, बफर ज़ोन 25 मीटर से 100 मीटर तक भिन्न था। इस न्यायालय की राय में, 500 मीटर का ई. एस. जेड. एक उचित बफर ज़ोन होगा, जिसके भीतर ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जो निषिद्ध सूची के भीतर नहीं आती हैं।

9 फरवरी 2011 के दिशा-निर्देशों को जारी रखा जा सकता है। लेकिन किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने के लिए जो अन्यथा होगी

अनुमेय, एक किलोमीटर के ईएसजेड मानक को बनाए रखा जाएगा जमुना रामगढ़ अभयारण्य के लिए। [पैरा 43] [1162-ई-एच; 1163-ए]

4. इस न्यायालय ने निर्देश दिया:

(क) प्रत्येक संरक्षित वन जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य है, में न्यूनतम एक किलोमीटर का ईएसजेड मापा जाना चाहिए।

ऐसे संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से जिसमें 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों में निषिद्ध और निर्धारित गतिविधियों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के लिए, जहां तक मौजूदा गतिविधियों का संबंध है, यह 500 मीटर का होगा।

इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

(ख) यदि ई. एस. जेड. पहले से ही कानून के अनुसार निर्धारित है जो एक किलोमीटर के बफर ज़ोन से परे जाता है, तो व्यापक

ई. एस. जेड. के रूप में मार्जिन प्रबल होगा। यदि उस संबंध में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे किसी विशेष राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के लिए किसी वैधानिक साधन के तहत एक किलोमीटर से अधिक के ऐसे व्यापक बफर ज़ोन का प्रस्ताव किया जाता है, तो जब तक ऐसा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक एक किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करने वाले ई. एस. जेड. को बनाए रखा जाएगा। (ग) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि कोई गतिविधि पहले से ही एक किलोमीटर या विस्तारित बफर ज़ोन (ईएसजेड) के भीतर की जा रही है, तो किसी भी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का मामला हो सकता है, जो 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध गतिविधियों के दायरे में नहीं आता है, ऐसी गतिविधियाँ प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुमति से जारी रह सकती हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के इस बात से संतुष्ट होने के बाद ऐसी अनुमति दी जाएगी कि संबंधित गतिविधियाँ निषिद्ध सूची में नहीं आती हैं और इस आदेश को वैध तरीके से पारित करने से पहले जारी थीं। ई. एस. जेड. के भीतर किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी नए स्थायी ढांचे को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) ई. एस. जेड. की न्यूनतम चौड़ाई को भारी जनहित में कम किया जा सकता है, लेकिन उस उद्देश्य के लिए राज्य या

संबंधित केंद्र शासित प्रदेश सी. ई. सी. और एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. से संपर्क करेगा और ये दोनों निकाय अपने-अपने सुझाव देंगे।

इस न्यायालय के समक्ष राय/सिफारिशें। उस आधार पर, यह न्यायालय उचित आदेश पारित करेगा।

(च) सी. ई. सी., एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी., राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति या किसी अन्य निकाय की स्थिति में

पर्यावरण में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति या व्यक्ति

वे मुद्दे जो किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में एक व्यापक या बड़े ईएसजेड को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं, ऐसे निकाय या व्यक्ति सी. ई. सी. से संपर्क करेंगे। ऐसी स्थिति में सी. ई. सी. को [2022] 17 एस. सी. आर. में एक व्यापक ई. एस. जेड. की आवश्यकता की जांच करने की स्वतंत्रता होगी।

संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. के साथ-साथ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति सहित सभी हितधारकों के परामर्श से किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य का सम्मान करना और फिर अपनी सिफारिशों के साथ इस न्यायालय से संपर्क करना।

(छ) अभयारण्यों या राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में जिनके लिए

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव नहीं दिया गया है, ई. एस. जेड. के रूप में 10 किलोमीटर का बफर ज़ोन, जैसा कि गोवा फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामले में 4 दिसंबर 2006 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इंगित किया गया है और 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों में भी निहित है, लागू किया जाएगा। उस क्षेत्र के भीतर, का पूरा सेट ई. एस. जेड. से संबंधित प्रतिबंध उस संबंध में अंतिम निर्णय होने तक काम करेंगे।

(ज) सी. ई. सी. मुआवजे की मात्रा निर्धारित करेगा

सी. ई. सी. द्वारा उक्त अभयारण्य के भीतर या परिधि में स्थित मिट्टी को स्थानांतरित करने वाले उपकरणों और अन्य मशीनरी को जब्त करने के संबंध में सिफारिशें की जाएंगी। इस न्यायालय के समक्ष आवेदन के रूप में चार महीने की अवधि के भीतर सिफारिशें की जाएंगी। यह न्यायालय इस तरह के आवेदन को देखने के बाद उचित आदेश पारित करने पर विचार करेगा। इस तरह के मुआवजे से संबंधित अभ्यास, जिसमें मुआवजे की मात्रा निर्धारित करना शामिल है, खनन संचालक, राज्य और एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. को सुनवाई का अवसर देने पर किया जाएगा।

((i) यदि किसी उच्च वर्ग का कोई स्थायी क्रम है।

इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा निपटाए गए किसी भी मुद्दे को शामिल करते हुए न्यायालय या ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कोई भी न्यायालय, यह आदेश ऐसे किसी भी आदेश पर प्रबल होगा जो इन निर्देशों के विपरीत हो सकता है। [पैरा 44] [1163-बी-डी, जी-एच; 1164-ए-एच; 1165-जी-एच; 1166 ए-सी]

गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ (2011) 15 एससीसी 79;

एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य (1997) 1 एस. सी. सी. आर. ई.:

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

388 [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 12; गोवा फाउंडेशन बनाम

भारत संघ और अन्य (2014) 6 एस. सी. सी. 590: [2014]

5 एस. सी. आर. 302 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 15 एससीसी 79

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[1996] 10 पूरक। एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2014] 5 एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

सिविल मूल अधिकार क्षेत्रः 2003 का आई. ए. No.1000

(आई. ए. संख्या के साथ सी. ई. सी. दिनांकित 20.11.2003) की अनुशंसा। 982-984 2003 और आई. ए. सं. 1026-1028 2004 और आई. ए. सं. 1123 1124 2004 का आई. ए. और 2004 का आई. ए. <आई. डी. 1 और आई. ए. सं. 1210 1211 2004 का आई. ए. और 2004 का आई. ए. और आई. ए.

2005 की संख्या 1412 और 2006 की आई. ए. संख्या 1512 और 2007 की आई. ए. संख्या 1992 और 2015 की आई. ए. संख्या 3880 और 2019 की आई. ए. संख्या 96949 और

2019 का आई. ए. सं. 117831 और 2021 का आई. ए. सं. 65571।

1995 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 202। (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

बलबीर सिंह, एएसजी, सौरभ मिश्रा और निखिल गोयल, एएजी, एडीएन।

राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। [ए. सी.], सुश्री अपराजित सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। [ए. सी.], नलिन कोहली, डॉ. मनीष सिंघवी, सिद्धार्थ भटनागर, वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

सिद्धार्थ चौधरी, अधिवक्ता। [ए. सी.], राहुल मिश्रा, अमित पी. साही, डी. शिवशंकर, सुश्री अनन्या खंडेलवाल, अग्रिमा सिंह, एम. आर. चंचल कुमार गांगुली, सैयद मेहदी इमाम, टी. हरीश कुमार, मेसर्स। मित्तर एंड मित्तर कं., मेसर्स। वकील एस निट एंड कंपनी, श्रीमती अनिल कटियार, शुभोदीप रॉय, अंकित रॉय, ईशान बोरठाकुर, सुश्री निमिषा मेनन, श्री.

गैचांगपोउ गंगमेई, राज किशोर चौधरी, उमेश भागवत, ई. सी. अग्रवाल, रंजन मुखर्जी, गोपाल सिंह, जितेंद्र मोहन शर्मा, सुश्री सी. के. सुचरिता, श्रीमती बी. सुनीता राव, एजाज मकबूल, मेसर्स। निगमित

लॉ ग्रुप, हिमांशु शेखर, पी. एन. गुप्ता, सुश्री के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, सुश्री चुबलेमला चोंग, राघवेंद्र कुमार, आनंद के. दुबे, सुश्री राजलक्ष्मी सिंह, निशांत वर्मा, राजीव कुमार सिन्हा, सिमंत कुमार, सुनील सरावगी, नरेंद्र कुमार, महफूज ए. नाजकी, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री अरुणा गुप्ता, सुश्री सुमिता हजारिका, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, सुहान मुखर्जी, निखिल परीक्षित, विशाल प्रसाद, अभिषेक मनचंदा, सायनदीप पहाड़ी, [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तन्मय सिन्हा, पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी, अविजीत मणि त्रिपाठी, टी. के. नायक, उपेंद्र मिश्रा, पी. एस. नेगी, एस. आर. कोचर, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, सुश्री मधु मूलचंदानी, मोहम्मद। इरशाद हनीफ, नरेश के. शर्मा, जय प्रकाश पांडे, श्रीमती माणिक करंजावाला, सी. एल. साहू, सुश्री आभा आर. शर्मा, एस. आर. सेतिया, रजत जोसेफ, श्रीमती नंदिनी गोर, मैसर्स। एम. वी. किनि

& एसोसिएट्स, प्रदीप कुमार बख्शी, सुश्री दिव्या रॉय, राधा श्याम जेना, सुश्री चारू माथुर, टी. वी. जॉर्ज, नीरज शेखर, ई. एम. एस. अनम, सुश्री एस. जनानी, सूर्यकांत, अमित आनंद तिवारी, श्रीमती बीना गुप्ता, मैसर्स। के. जे. जॉन एंड कंपनी, एस. सी. बिड़ला, सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, पुनीत दत्त त्यागी, रतन कुमार चौधरी, सुश्री बीनू टम्टा, तेजस्वी कुमार प्रधान, पवन कुमार शर्मा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, सुश्री सुजाता कुर्दुकर, शिबाशीष मिश्रा, श्रीमती एम. कमरुद्दीन, सुश्री बेबी कृष्णन, बी. वी. दीपक, सुधीर कुमार गुप्ता, इरशाद अहमद, रउफ रहीम, राजीव सिंह, रमेश बाबू एम. आर., शिव पूजन सिंह, के. वी. विजयकुमार, सारद कुमार सिंघानिया, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर

झा, विवेक शर्मा, सुश्री मीनाक्षी कांबले, कुलदिप सिंह, श्रीमती रेखा पांडे, अविजीत भट्टाचार्जी, सुश्री मालिनी पोदुवाल, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, कमल मोहन गुप्ता, राजेश आदि। लक्ष्मी रमन सिंह, अशोक माथुर, गोपाल प्रसाद, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री हेमंतिका वाही, पी. वी. योगेश्वरन, सुश्री ए. सुमती, अजीत पुद्दुसरी, एम. सी. ढींगरा, सुश्री सुमिता हजारिका, अभिषेक चौधरी, टी. महिपाल, मेसर्स। अर्पुथम अरुणा और कंपनी, राज कुमार मेहता, के. एल. जंजीनी, तरुण जौहरी, राम स्वरूप शर्मा, ए. वेनायगम बालन, कृष्णानंद पांडे, सुश्री आशा गोपालन नायर, राकेश के. शर्मा, श्रीमती कंचन कौर धोड़ी, ई. सी. विद्या सागर, ईश करण सिंह छाबड़ा, शिव सिंह यादव, सुश्री सैफाली मित्रा, श्रीमती रानी छाबड़ा, वी. बालचंद्रन, पी. आर. रामकेश, राजीव मेहता, रथिन दास, सुधीर कुलश्रेष्ठ, सुश्री प्रतिभा जैन, प्रशांत कुमार, पी.

परमेस्वरन, ई. आर. कुमार, ललित चौहान, अभिराम नाइक, सुश्री नितिका

एम/एस पारेख एंड कंपनी के लिए पांडे, एच. एस. परिहार, सुश्री बीना माधवन, टी. एन. सिंह, ए. एन. अरोड़ा, जी. प्रकाश, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सुदर्शन मेनन, विक्रांत सिंह बैस, राजेश सिंह, एम. योगेश कन्ना, सोमेश चंद्र झा, आदर्श नैन, सुश्री रुचिरा गोयल, मृणाल गोपाल एल्कर, सुश्री समृद्धि जैन, सनी चौधरी, सुश्री सीता वैद्यलिंगम, सिद्धार्थ झा, वी. एन. रघुपति, पी. के. मनोहर, निशांत पाटिल, विनोद शर्मा, अर्पित प्रकाश, संदीप कुमार झा, D.L.Chidananda, सुश्री सुहासिनी सेन

सुघोश सुब्रमण्यम, नीरज के. शर्मा, हर्ष सिंघल, सुश्री प्रियंका शर्मा, मनीष तिवारी, प्रहल शर्मा, सुश्री मंजुला चौरसिया,

हरेंद्र सिंह, मुकेश वर्मा, सुश्री इंदिरा भाकर, जी. एस. मक्कर, आई. एन. आर. ई.:

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

संदीप दुबे, अंबुज सारस्वत, जेम्स पी. थॉमस, सुश्री वंशजा शुक्ला, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सरोजानंद झा, करण शर्मा, सुश्री प्रेचेता कर, आदित्य सिधरा, नदीम अफरोज, एम. आर. शमशाद, सुश्री शालिनी कौल, राजीव कुमार दुबे, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, एस. गौतम, गुंटूर प्रमोद कुमार, शुभ्रांशु पाधी, पी. एस. सुधीर, डी. के. गर्ग, दिनेश के. गर्ग, धनंजय गर्ग, अभिषेक गर्ग, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, डॉ. मोनिका गुसैन, हरिम ओम यदुवंशी, निशी राजन।

रेड्डी, मेसर्स। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, कौशिक चौधरी, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, सुश्री बी. के. पाल, साकेत सिंह, सुश्री संगीता सिंह, सुश्री सोम्याश्री, सुश्री निरंजना सिंह, पराग एम. श्रॉफ, अमनदीप मेहता, अभिषेक अत्रे, अजय मारवाह, सर्वम रितम खरे, नरेंद्र कुमार, एम/एस। सिरिल अमरचंद मंगलदास सुश्री मयूरी रघुवंशी, अरविंद एस., सुश्री सी. रुबावती, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

अनिरुद्ध बोस, जे।

ये कार्यवाही अनुच्छेद के तहत रिट याचिका से उत्पन्न होती हैं।

32 डब्ल्यू. पी. के रूप में पंजीकृत भारत के संविधान का। (सिविल) 1995 का सं. 202 (टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम। भारत संघ और अन्य) , जो एक जनहित याचिका की प्रकृति में है। इसकी स्थापना तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में वन भूमि के संरक्षण के लिए की गई थी। इसके बाद, उस रिट याचिका का दायरा बढ़ाया गया ताकि पूरे देश में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। मूल रिट याचिकाकर्ता का तब से निधन हो गया है (1 जून 2016 को) लेकिन एक आदेश में 3 फरवरी को पारित किया गया

2017 , इस न्यायालय ने राय दी कि एक जनहित याचिका होने के नाते, मृतक याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रिट याचिका, सार में, "रीः में" कारण शीर्षक के साथ जारी रही। टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ और अन्य "। आर्थिक गतिविधियों के साथ इस देश के वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस रिट याचिका में समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं। इस न्यायालय के 9 मई 2002 के एक आदेश द्वारा, मुख्य रूप से इस न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और गैर-अनुपालन की घटनाओं को हमारे सामने रखने के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ("सीईसी") का गठन करने का निर्देश दिया गया था।

इसके

बाद, [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2002 को जारी एक अधिसूचना द्वारा, इस समिति का गठन वैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया था। सी. ई. सी. इस न्यायालय के ध्यान में ला रहा है।

अतिक्रमण हटाने, कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रतिपूरक वनीकरण, वृक्षारोपण और अन्य संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

मुद्दे। इस क्रम में, हम मुख्य रूप से दो प्रकार के मुद्दों से निपटेंगे। पहला सेट राजस्थान राज्य में एक वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास की खनन गतिविधियों से संबंधित है-जिसे "जमुआ रामगढ़" (जिसे जामवा रामगढ़ भी कहा जाता है) के रूप में जाना जाता है। मुद्दों का दूसरा समूह व्यापक है, और इसमें वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ई. एस. जेड.) को निर्धारित करना शामिल है। वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों (संरक्षित वन) के भीतर खनन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के विषय पर भी हम इस क्रम में विचार करेंगे। हमारे सामने आवेदनों की आवश्यकता है

सी. ई. सी. द्वारा की गई सिफारिशों के एक समूह के परिप्रेक्ष्य में जांच और हमसे आवेदकों के एक समूह द्वारा आग्रह किया गया है कि इस न्यायालय के पहले के निर्देशों में कुछ संशोधन किए जाएं। वन संसाधनों के संरक्षण के लिए लिया गया। हमारे पहले के आदेशों में संशोधन की मांग करने वाले आवेदकों में खनिकों का एक समूह शामिल है, और कुछ मामलों में, राज्य सरकारें वाणिज्यिक दोहन के लिए संरक्षित वन क्षेत्रों और उनके बफर ज़ोन को खोलने के लिए कहती हैं, जिन पर हमारे पहले के आदेशों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बात पर विवाद है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में ईएसजेड पर बफर ज़ोन का गठन क्या होगा, क्योंकि विभिन्न हितधारकों के बीच विचारों में भिन्नता है।

2. आवेदनों का वर्तमान समूह 20 नवंबर 2003 की सीईसी की एक रिपोर्ट से उत्पन्न होता है। यह रिपोर्ट विशेष रूप से जमुआ से संबंधित है।

रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उक्त रिपोर्ट मुख्य रूप से निजी खनिकों द्वारा सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अस्थायी कार्य परमिट के साथ एक संरक्षित वन के विनाश की एक भयानक तस्वीर देती है। इसके बाद

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

और सुरक्षा क्षेत्र के भीतर भी, तुरंत होना चाहिए रद्द कर दिया गया। खनन गतिविधि को नए/संशोधित खनन पट्टों के बाद ही फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है, वन क्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्र को आरई द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद:

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

सक्षम प्राधिकारी और यहाँ उल्लिखित शर्तें के तहत पूरी तरह से अनुपालन किया जाता है;

((ii) वर्तमान में जमुआ रामगढ़ अभयारण्य और अन्य अभयारण्यों के लिए पच्चीस मीटर का सुरक्षा क्षेत्र तय किया गया है।

राजस्थान में ही पार्क। मध्य प्रदेश में सभी 20 वन क्षेत्रों के लिए 250 मीटर का सुरक्षा क्षेत्र तय किया गया है। सी. ई. सी. का विचार है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास न्यूनतम 500 मीटर सुरक्षा क्षेत्र आवश्यक है जहां कोई खनन नहीं होता है। निर्माण और अन्य परियोजनाओं को अनुमति दी जानी चाहिए। उचित सुरक्षा क्षेत्र के बिना राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में निवास और वन्यजीव प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। हालांकि

खनन पट्टों की मंजूरी के समय सख्त शर्तें लगाई जाती हैं, कानूनों के कमजोर प्रवर्तन के कारण किसी का भी व्यावहारिक रूप से पालन नहीं किया जाता है। खनन से क्षेत्र में भारी गड़बड़ी होती है क्योंकि विस्फोट, अधिक बोझ को हटाना, छेदना, परिवहन, उड़ने वाला मलबा और बड़ी संख्या में मजदूरों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही होती है। राजस्थान वन विभाग द्वारा वर्तमान में निर्धारित पच्चीस मीटर का सुरक्षा क्षेत्र पूरी तरह से पर्याप्त है क्योंकि विस्फोट के दौरान फटी चट्टानें वर्तमान सुरक्षा क्षेत्र से बहुत आगे जा सकती हैं। हालांकि, सुरक्षा क्षेत्र को 500 मीटर के वांछित स्तर तक बढ़ाने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बंद हो जाएगा।

खदानें। स्थिति को समग्र रूप से देखते हुए, सी. ई. सी. ने सिफारिश की है कि जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के लिए,

"मौजूदा" खदानों के लिए सुरक्षा क्षेत्र 100 मीटर निर्धारित किया जा सकता है जिसमें किसी भी खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नए खनन पट्टों के लिए सुरक्षा क्षेत्र 500 मीटर के रूप में तय किया जा सकता है।

(iii) अभयारण्य के अंदर खनन किए गए क्षेत्र का सुधार और पुनर्वास उपयोगकर्ता एजेंसी की कीमत पर समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, जिसके लिए काम की विभिन्न वस्तुओं, लागत और समय सीमा के साथ एक विस्तृत सुधार और पुनर्वास योजना तैयार की जानी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर लागू की जानी चाहिए। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना पूरी तरह से पर्याप्त है। इसमें खनन गड्ढों की मरम्मत और पुनर्वास का प्रावधान नहीं है। अभयारण्य में बिखरे हुए पत्थरों और चट्टानों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सघन वृक्षारोपण और संरक्षण [2022] 17 एस. सी. आर.

प्रदान नहीं किया गया है। संशोधित योजना को शामिल किया जाना चाहिए

उपरोक्त और अन्य आवश्यक उपाय एक अनुकूल प्रदान करने के लिए

वन्य जीवन के लिए आवास। इस स्थिति में इसके लिए पर्याप्त धन

पूर्ववर्ती खदान पट्टे से उद्देश्य की वसूली नहीं की जा सकती है।

मालिकों, वही राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए सरकार;

यह सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण प्रमाण तंत्र स्थापित किए जाने के बाद ही सुधार के कार्यान्वयन के लिए धन की वसूली और

राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास योजना; (v) वर्तमान बाजार के बराबर अनुकरणीय क्षतिपूर्ति

संबंधित खदान द्वारा हटाए गए पूरे खनिज का मूल्य

एफ. सी. का उल्लंघन करते हुए अभयारण्य के अंदर खनन करके मालिक।

उनसे अधिनियम और/या डब्ल्यू. पी. अधिनियम की वसूली की जानी चाहिए।

अभिलिखित उत्पादन या अनुमानित आंकड़ों का आधार

बरामद का उपयोग सुरक्षा और विकास के लिए किया जाना चाहिए अपनी पूरी क्षमता के लिए अभयारण्य;

(vi) अभयारण्य के अंदर बिखरे हुए बचे हुए खनिजों को

पूर्ववर्ती खदान पट्टा धारकों का; (viii) अभयारण्य के आसपास किसी भी खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जब तक अभयारण्य की सीमा जमीन पर सीमांकित नहीं हो जाती

और सीमा स्तंभों को निश्चित संदर्भ के साथ सत्यापित किया जाता है

अंक;

(ix) अनुशासनात्मक कार्रवाई समयबद्ध रूप से की जानी चाहिए। खानों और वन में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तरीका

राजस्थान राज्य के विभाग और एम. ओ. ई. एफ.

एफ. सी. अधिनियम, डब्ल्यू. पी. अधिनियम और/का उल्लंघन करते हुए खनन की अनुमति देना

या यह माननीय न्यायालय का आदेश; "

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

3. इस न्यायालय ने इस रिपोर्ट को अपने सेट के साथ परिवर्तित कर दिया था एक अंतर्वर्ती आवेदन में संशोधन और आवंटित किया गया था 2003 की राशन संख्या आई. ए. 1000।

इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

4. 20 सितंबर 2012 को सी. ई. सी. द्वारा दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें इससे आगे निकल गईं।

जमुआ रामगढ़ अभयारण्य और पूरे देश में संरक्षित वनों के आसपास सुरक्षा क्षेत्रों की पहचान और घोषणा के निर्माण से संबंधित है। संरक्षित वनों के आसपास ई. एस. जेड. होने के सवाल की जाँच इस न्यायालय द्वारा पहले एक अन्य रिट याचिका [डब्ल्यू. पी.] में की गई थी। (सिविल) 2004 का सं. 460] गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ। उक्त रिट याचिका में, निम्नलिखित आदेश 4 दिसंबर 2006 को पारित किया गया था [(2011) 15 एस. सी. सी. 791 में सूचित]: -

" 4. मंत्रालय को सभी को अंतिम अवसर देने का निर्देश दिया गया है

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने दिनांक 27-5 2005 के पत्र का जवाब देंगे। गोवा राज्य को भी उचित देने की अनुमति है।

केंद्र सरकार को पहले ही भेजे जा चुके प्रस्ताव के अलावा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया जाएगा कि यदि - मंत्रालय से सूचना प्राप्त होने के चार सप्ताह की अवधि के भीतर भी प्रस्ताव नहीं भेजे जाते हैं, इस न्यायालय को इसके कार्यान्वयन के लिए आदेश पारित करने पर विचार करना पड़ सकता है

21-1-2002 पर लिया गया निर्णय, अर्थात्,

10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों की अधिसूचना। वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण और एहतियाती सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं का निर्धारण। यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अब जवाब देने में विफल रहते हैं, तो वे ऐसा करेंगे

उनका अपना जोखिम और संकट "।

5. गोवा फाउंडेशन बनाम शीर्षक से दो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। भारत संघ [डब्ल्यू. पी. (सिविल) 2004 का No.460] और गोवा फाउंडेशन वी. भारत संघ और अन्य [डब्ल्यू. पी. पर्यावरण कानूनों को लागू करने और गोवा राज्य सहित विभिन्न राज्यों में अवैध खनन को रोकने के लिए जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों को लागू करने के संबंध में 2012 का (सिविल) No.435। वर्तमान रिट याचिका और गोवा फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामलों में कुछ अतिव्यापी मुद्दे शामिल हैं। हम इस निर्णय/आदेश में जो निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, वे गोवा फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामलों में पारित आदेशों को ध्यान में रखेंगे और ऐसे निर्देश उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में से किसी में भी पारित आदेशों के पूरक होंगे, यदि इस आदेश में पारित हमारे निर्देश उक्त दो रिट याचिकाओं में पारित किसी भी जनादेश के दायरे में आने वाले क्षेत्रों या विषयों से संबंधित हैं।

6. पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए दिशानिर्देशों का एक समूह

) राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी.) द्वारा तैयार किया गया था।

9 फरवरी 2011 को भारत सरकार [एफ. No.1-9/2007 डब्ल्यूएल

] . ये दिशानिर्देश प्रक्रिया और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं

ई. एस. जेड. घोषित करने के लिए एड। इन दिशानिर्देशों के खंड 3 और 4 में, यह है -

निर्धारित किया गयाः -

" 3. पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्यः

राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य

उद्यानों और अभयारण्यों को किसी प्रकार का "सदमा" पैदा करना है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए "अवशोषक"। वे भी एक के रूप में कार्य करेंगे

उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से शामिल क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र कम सुरक्षा। जैसा कि राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा तय किया गया है

वन्यजीवों के लिए, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधियाँ होंगी

निषेधात्मक प्रकृति के बजाय नियामक प्रकृति का, जब तक कि

और अन्यथा यह आवश्यक है।

4. पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का विस्तारः

4.1 कई मौजूदा संरक्षित क्षेत्र पहले से ही हैं

उनके निकटवर्ती क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ

सीमाएँ। कुछ संरक्षित क्षेत्र वास्तव में शहरी व्यवस्था (जैसे। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु, संजय

गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र, आदि)। इसलिए, परिभाषित करें

इसे लचीला और संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट रखना होगा। चौड़ाई पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र और विनियमों के प्रकार अलग-अलग होंगे।

संरक्षित क्षेत्र से संरक्षित क्षेत्र तक। लेकिन एक सामान्य के रूप में

सिद्धांत रूप से पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई तक जा सकती है

10 वन्यजीवों में दिए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास के किलोमीटर संरक्षण रणनीति-2002।

4.2 ऐसे मामले में जहां संवेदनशील गलियारे, संपर्क और

पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण पैच, लैंडस्केप लिंकेज के लिए महत्वपूर्ण, इनकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से भी अधिक है, इन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र।

4.3 इसके अलावा, किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में भी,

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के क्षेत्र का वितरण और विस्तार

विनियमन चारों ओर समान नहीं हो सकता है और यह हो सकता है परिवर्तनीय चौड़ाई और विस्तार '।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

7. उक्त दिशानिर्देशों के खंड 6 और 7 में यह निर्दिष्ट किया गया हैः

" 6. अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः

6.1 जैसा कि पूर्वगामी पैरास में संकेत दिया गया है, मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास की कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है।

वन्यजीव अभयारण्य ताकि संरक्षित क्षेत्र को घेरने वाले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में, यह एक पूर्व-आवश्यकता है कि विभिन्न भूमि उपयोग पैटर्न और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, प्रकारों और प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के आसपास काम करने वाले उद्योगों की संख्या की एक सूची तैयार की जाए।

(राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों) के साथ-साथ महत्वपूर्ण गलियारों का निर्माण किया जाए। इन्वेंट्री संबंधित रेंज अधिकारियों द्वारा की जा सकती है, जो अपनी सीमा के 10 किमी के भीतर गतिविधियों का जायजा ले सकते हैं। 6.2 उपरोक्त उद्देश्य के लिए, एक छोटी समिति जिसमें संबंधित वन्यजीव वार्डन, एक पारिस्थितिकीविद्, स्थानीय स्वशासन के एक अधिकारी और राजस्व विभाग के एक अधिकारी शामिल हैं।

संबंधित क्षेत्र के विभाग का गठन किया जा सकता है। उक्त समिति निम्नलिखित सुझाव दे सकती हैः

((ii) सुरक्षा उपायों के साथ प्रतिबंधित। ((ग) अनुज्ञेय

6.4 एक बार पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव किया गया है

अंतिम रूप दिए जाने पर, इसे [2022] 17 एस. सी. आर. मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आगे के प्रसंस्करण के लिए पर्यावरण और वन और

अधिसूचना। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि, राज्य/संघ

क्षेत्रीय वन विभाग प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकता है

राज्य सरकार में संबंधित प्राधिकारी की प्रति के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय, जब भी

प्रस्ताव (भले ही यह एकल संरक्षित क्षेत्र के लिए हो) पूर्ण हैं।

विवरणों की एक सांकेतिक सूची जिसे साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

प्रस्ताव अनुलग्नक-2 में हैं।

6.5 यहाँ यह उल्लेख करना है कि ऐसे मामलों में जहाँ की सीमा

एक संरक्षित क्षेत्र दूसरे राज्य/संघ की सीमा से सटा हुआ है

वह क्षेत्र जहाँ यह किसी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वह

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दोनों का प्रयास होगा

प्रश्न में। 6.6 राज्य सरकार को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि

जनता के लिए मजबूत संदेश है कि ईएसजेड बाधा डालने के लिए नहीं है

उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ, लेकिन इसके बजाय, उनकी रक्षा के लिए हैं

उनके इलाके में किसी भी क्षेत्र से बहुमूल्य वन/संरक्षित क्षेत्र

संरक्षित क्षेत्र। सुल्तानपुर की अधिसूचना की एक प्रति मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र इसके साथ संलग्न है।

संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए अनुलग्नक-3 में।

7. ये दिशा-निर्देश प्रकृति और राज्य के लिए सूचक हैं।

केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें इनका बुनियादी रूप से उपयोग कर सकती हैं।

में लागू विशिष्ट दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए रूपरेखा

उनके राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों का संदर्भ, कम से कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण गलियारे, आदि

अधिमानतः संरक्षित पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना

क्षेत्रों "।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

8. उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक खनन, की स्थापना

प्रदूषण पैदा करने वाले नल्स और उद्योग, जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण, किसी भी उत्पादन का उपयोग

डस पदार्थ, पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ जैसे ओवर

जी किसी भी विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, निर्वहन द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र

आरई में प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्रों में तरल पदार्थ और ठोस अपशिष्टः

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

निषिद्ध गतिविधियों को प्रस्तावित किया गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की कम क्षमता वाली कुछ अन्य गतिविधियों को विनियमित करने का प्रस्ताव किया गया है।

9. 4 अगस्त 2006 को पारित एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ खनन के लिए अस्थायी कार्य परमिट देने पर रोक लगा दी थी।

क्षेत्र, जो वर्तमान आई. ए. (2003 का आई. ए. No.1000) में किए जाने वाले आदेशों के अधीन था। 10. सीईसी की 20 सितंबर 2012 की दूसरी रिपोर्ट में पहचान और पहचान के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं।

ईएसजेड की घोषणा। "राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों के आसपास सुरक्षा क्षेत्रों (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों) के बारे में टिप्पणी" शीर्षक वाली यह रिपोर्ट

अभयारण्य निम्नलिखित सिफारिशें करते हैं:

" 10. इस बात पर विचार करने के बाद कि पिछले दस वर्षों के दौरान संरक्षित क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा क्षेत्रों की पहचान और घोषणा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है और इस मामले को समग्रता में देखते हुए, सीईसी द्वारा एक कार्यान्वयन योग्य योजना तैयार की गई है और जिसे बाद के पैराग्राफ में निपटाया गया है।

11. पहचान और घोषणा के उद्देश्य से

राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों (इसके बाद संरक्षित क्षेत्रों के रूप में संदर्भित) के आसपास के सुरक्षा क्षेत्रों, उनके क्षेत्रों के आधार पर संरक्षित क्षेत्रों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i) श्रेणी-ए-500 के क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र स्क्वायर। किमी. या अधिक। ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 73 है और उनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,01,389 वर्ग किलोमीटर है। कि. मी. (63.44% का

संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्र);

(ii) श्रेणी-बी-एक क्षेत्र वाले संरक्षित क्षेत्र

200 वर्ग मीटर के बीच। किमी. 500 वर्ग मीटर तक। किमी. ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 115 है और उनका कुल क्षेत्रफल लगभग 38942 वर्ग किलोमीटर है।

किमी. (24.37 % संरक्षित क्षेत्रों के कुल क्षेत्र का);

(ग) श्रेणी-सी-एक क्षेत्र वाले संरक्षित क्षेत्र।

100 वर्ग मीटर के बीच। किमी. 200 वर्ग मीटर तक। किमी. ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 85 है और उनका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,066 वर्ग किलोमीटर है।

एम (संरक्षित क्षेत्रों के कुल क्षेत्र का लगभग 7.55%); और

v) श्रेणी-डी-वे संरक्षित क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल

00 स्क्वायर। किमी. ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 344 है और उनका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,422 वर्ग किलोमीटर है। कि. मी. (लगभग 4.65% का

सभी संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रीय क्षेत्र)।

2. जहाँ भी दो या दो से अधिक संरक्षित क्षेत्र निकटवर्ती हों और अन्य, ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में रखा जाएगा

उपयुक्त श्रेणी उनके कुल क्षेत्रों के आधार पर और व्यक्तिगत संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र के आधार पर नहीं)।

कुछ सन्निहित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है -

नीचे लिखा है:

i) कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (520 वर्ग कि. मी.) और सोनानदी अभयारण्य (301 वर्ग कि. मी.)-कुल क्षेत्रफल 821 वर्ग कि. मी. है। किमी और इसलिए दोनों श्रेणी-ए में आते हैं।

ii) गिर राष्ट्रीय उद्यान (258 वर्ग कि. मी.) और गिर अभयारण्य

(1,153)-कुल क्षेत्रफल 1,411 वर्ग कि. मी. है। किमी. और इसलिए

दोनों श्रेणी-ए में आते हैं। iii) पेरियार राष्ट्रीय उद्यान (350 वर्ग कि. मी.) और पेरियार अभयारण्य (427 वर्ग कि. मी.)-कुल क्षेत्रफल 777 वर्ग कि. मी. है। किमी. और

इसलिए दोनों श्रेणी-ए में आते हैं।

iv) सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान (585 वर्ग कि. मी.), बोरी अभयारण्य (485 वर्ग कि. मी.) और पचमढ़ी अभयारण्य (417 वर्ग कि. मी.) का कुल क्षेत्रफल 1488 वर्ग कि. मी. है। किमी. और इसलिए तीनों गिर जाएँगे

श्रेणी-ए;

vii) सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान (273 वर्ग कि. मी.) और सरिस्का अभयारण्य (219 वर्ग किलोमीटर)-कुल क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है। किमी. और

इसलिए दोनों श्रेणी-बी में आते हैं।

3. श्रेणी-ए और श्रेणी-बी में आने वाले संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में सुरक्षा क्षेत्र में सभी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

उद्योग (एम. डी. एफ./कण बोर्ड संयंत्रों को छोड़कर) को सुरक्षा क्षेत्र (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) के भीतर निषिद्ध गतिविधियों के रूप में माना जाएगा। उद्योगों की स्थापना (निषिद्ध गतिविधियों की सूची में शामिल गतिविधियों के अलावा), रिसॉर्ट्स, वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर सहित होटल और रेस्तरां जैसी गतिविधियाँ। सेवाओं, पनबिजली परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, नहरों, पारेषण लाइनों को बिछाने और 33 केवी से ऊपर वितरण लाइनों, पांच मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों और नदी के तल से पत्थरों, बजरी और रेत के संग्रह को विनियमित गतिविधियों के रूप में माना जाएगा और जो पर्यावरण मंजूरी और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही अनुमत होंगे। अन्य सभी गतिविधियाँ जो निषिद्ध गतिविधियों या विनियमित गतिविधियों के रूप में निर्धारित नहीं हैं, उन्हें अनुमेय गतिविधियों के रूप में माना जाएगा।

15. संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी

संरक्षित क्षेत्र के महत्व पर विचार करने के बाद निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी (श्रेणी-सी से श्रेणी-बी तक) में संरक्षित क्षेत्रः

i) प्रमुख प्रजातियों/लुप्तप्राय प्रजातियों की उपस्थिति जैसे -

बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हंगुल, कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शेर टेल्ड

मकाक, फ्लोरिकन;

iv) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी-प्रणालियाँ 16. संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें निवास, मौजूदा उद्योगों [2022] 17 एस. सी. आर. की स्थिति की विस्तृत जांच के बाद कर सकती हैं।

और अन्य गतिविधियाँ और अन्य प्रासंगिक कारक, और, यदि वांछनीय पाए जाते हैं और लोक हित में प्रस्ताव (ओं) को आगे बढ़ाते हैं एक संरक्षित क्षेत्र को उच्च श्रेणी से निचली श्रेणी में स्थानांतरित करना। वे सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरों के क्षेत्रों को बाहर करने के लिए प्रस्ताव भी भेज सकते हैं। इसके बाद एम. ओ. ई. एफ. ऐसे प्रस्तावों की जांच करेगा और इस तरह के प्रस्ताव रखेगा।

राष्ट्रीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव

वन्यजीव बोर्ड इसके विचार के लिए। एन. बी. डब्ल्यू. एल. की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को इसकी अनुमति लेने के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। इस माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही एक संरक्षित क्षेत्र को उच्च श्रेणी से निचली श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है। 17. राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास सुरक्षा क्षेत्र (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) इसके अतिरिक्त होंगे।

एमओईएफ द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (और अन्य अधिसूचनाओं द्वारा, यदि कोई हो):

i) एस. ओ. 20 (ई), (6/1/1989)-मुरुद जानीजीरा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में उद्योगों पर प्रतिबंध;

iii) एस. ओ. 416 (ई), (20/6/1991)-दहानु तालुका, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र घोषित करने के लिए, 1999 में संशोधित;

viii) एस. 0. 825 (ई), (17.9.1998)-पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पचमढ़ी क्षेत्र;
ix) एस. ओ. 52 (ई), (17/1/2001) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में महाबलेश्वर पंचगनी क्षेत्र; आरईः

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

x) एस. ओ. 133 (ई), (4/2/2003)-माथेरान और आसपास

एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में क्षेत्र

1. एस. 0. 83 (ई), (16/01/2004)-एस. ओ. 133 (ई) में संशोधन

दिनांकित 4/2/2003;

xi) एस. ओ. 1545 (ई), (25/06/2009), माउंट आबू पर्यावरण के प्रति संवेदनशील

क्षेत्र।

xii) एस. ओ. 1260 (ई), (31/05/2012)-गिरनार आरक्षित वन

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र।

18. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव हैं -

अत्यधिक देरी की पिछली बूंद में प्रस्तुत किया गया है जो ले लिया गया है

सुरक्षा क्षेत्रों की पहचान और घोषणा में स्थान

राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास और ताकि यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घोषणाओं की प्रक्रिया जारी न रहे।

अनिश्चित काल के लिए लंबित। ”

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

11. उक्त रिपोर्ट के लिए, 18 तारीख का एक और पूरक नोट

ए. आर. आई. 2013 प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट संरक्षित वनों के आसपास ईएसजेड के संबंध में भी है। से निम्नलिखित अंश

ईपोर्ट प्रासंगिक है; -

" 4. अत्यधिक देरी पर विचार करने के बाद जो पहले ही हो चुकी है

राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र को अधिसूचित करने में हुआ

उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य और जमीन पर विचार करना

उचित हो सकता है कि इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाए राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों के आसपास सुरक्षा क्षेत्र। द.

प्रभावी सुनिश्चित करते हुए सी. ई. सी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रतिबंधों और विनियमों को तुरंत लागू किया जाता है और विस्तृत रूप से वस्तुनिष्ठ तरीके से भी लागू किया गया

परीक्षण, को संशोधित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है

सुरक्षा क्षेत्रों।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

12. 2003 के आई. ए. No.1000 के संबंध में कई अन्य

मुख्य रूप से खनिकों द्वारा जमुआ गढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में शिकायतें दायर की गई हैं। 4 अगस्त 2006 को अदालत द्वारा [2022] 17 एस. सी. आर. के अनुदान के संबंध में [2010) 13 एस. सी. सी. 740 में सूचित] आदेश पारित किया गया।

मौखिक कार्य अनुमति उन्हें पूर्व शर्तों के अनुपालन के अधीन बनाया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ ये पूर्व शर्तें थीं: -

" 19. (i) टी. डब्ल्यू. पी. केवल खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए दिए जा सकते हैं, न कि जहां पहले पट्टे के लिए पट्टे दिए जा रहे हैं।

आवेदक उपयोगकर्ता एजेंसी के लिए समय;

((ii) यह खदान वन्यजीव की धारा 18,26-ए या 35 के तहत अधिसूचित किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के अंदर स्थित नहीं है। (संरक्षण) अधिनियम, 1972;

(iii) टी. डब्ल्यू. पी. के अनुदान से कोई खनन गतिविधि नहीं होगी।

में निर्दिष्ट ऐसे क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा क्षेत्र के भीतर पूर्व शर्त (ii) उपरोक्त (एक अंतरिम उपाय के रूप में, एक किलोमीटर सुरक्षा क्षेत्र को उन आदेशों के अधीन बनाए रखा जाएगा जो

जमुआ रामगढ़ के संबंध में आई. ए. सं. 1000 में बनाया जाए। अभयारण्य);

((iv) जिस उपयोगकर्ता एजेंसी ने खदान के क्षेत्र को विभाजित किया है (जिसके संबंध में टी. डब्ल्यू. पी. की मांग की जा रही है) ने

आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी और इससे पहले किसी भी समय नहीं

टी. डब्ल्यू. पी. का अनुदान वन (संरक्षण) अधिनियम (संक्षेप में "एफ. सी. अधिनियम") के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, विचाराधीन खदान के संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जा रहा कोई भी खनन था। एफ. सी. अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामलों में, एफ. सी. अधिनियम के तहत योग्यता पर एक औपचारिक निर्णय लिया जाना चाहिए।

उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए। हालांकि, एक टी. डब्ल्यू. पी. के अनुदान पर विचार किया जा सकता है जहां पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पिछले उल्लंघनों को नियमित किया गया है (के लिए लघु "एम. ओ. ई. एफ".) पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एफ. सी. अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करके;

(v) खनन पट्टा (या खनन पट्टा के नवीनीकरण) के अनुदान के लिए एफ. सी. अधिनियम के तहत अनुमोदन से जुड़ी शर्तों को पूरा कर लिया गया है, विशेष रूप से (लेकिन)

इन तक सीमित नहीं) प्रतिपूरक वनीकरण, सुधार योजना

और निर्दिष्ट स्थल पर अधिक बोझ डालना;

(vi) उपयोगकर्ता एजेंसी ने निर्धारित समय के भीतर, एफ. सी. अधिनियम के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वन (संरक्षण) नियम, 1980 के अनुरूप एक प्रस्ताव पहले ही दायर कर दिया है, जिसमें पूरे

विवरण के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उपयोगकर्ता आरई के पक्ष में टी. डब्ल्यू. पी. के अनुदान के लिए एक आवेदनः

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

अभिकरण, जिन्होंने या तो उचित प्रस्ताव दायर नहीं किया है और/या

पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की है, विशेष रूप से

प्रतिपूरक वनीकरण, चरणबद्ध सुधार योजना, पेड़ों की कटाई, खनिजों के विवरण का सम्मान (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)

अतीत में निकाले गए आदि का मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए;

(vii) एक टी. डब्ल्यू. पी. केवल कानूनी रूप से विभाजित क्षेत्र में और पट्टे की वैधता के दौरान काम करने तक ही सीमित रहेगा। दोनों में से किसी के संबंध में या विस्तार में कोई टी. डब्ल्यू. पी. नहीं दिया जा सकता है।

अखंड क्षेत्र या वे क्षेत्र जो टूट गए हैं

(viii) किसी भी परिस्थिति में टी. डब्ल्यू. पी. की अवधि एक वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ सकती है। जहां एफ. सी. अधिनियम के तहत अनुमति देने के लिए एक आवेदन का निपटान टी. डब्ल्यू. पी. की मुद्रा के दौरान नहीं किया जाता है, आवेदक, उसी टी. डब्ल्यू. पी. के बल पर, अधिक से अधिक अवधि के लिए काम करना जारी रख सकता है। तीन महीने जब तक कि इससे विशिष्ट आदेश प्राप्त न हों।

न्यायालय; और

(ix) टी. डब्ल्यू. पी. के क्षेत्र के संबंध में एम. एम. आर. डी. अधिनियम के तहत एक वैध पट्टा मौजूद है (जिसमें खनिज रियायत नियमों के नियम 24-ए (6) के संदर्भ में एक मानित विस्तार भी शामिल है)।

13. अब हम संक्षेप में 2003 के आई. ए. संख्या 1000 के साथ दाखिल किए गए व्यक्तिगत आई. ए. का उल्लेख करेंगेः

(i) आई. ए. संख्या में आवेदक। 982-984 2003 का, 2004 का 1026-1028,2004 का 1123-1124,2004 का 1197-1199,2004 का 1210-1211,2004 का 1250 1251 और 2006 का 1512 ऐसी फर्में हैं जो खनन पट्टा धारक होने का दावा करती हैं या उनके प्रतिनिधि निकाय हैं जो 2003 के आई. ए. सं. 1000 में और अन्य राहतों में भी पक्ष लेने की मांग कर रहे हैं। ये सभी आवेदक (आवेदक को आई. ए. No.1512, अर्थात एम/एस. में छोड़कर। अंधी मार्बल्स) वर्तमान कार्यवाही में अभियोग की मांग करते हैं। वे सभी एक निश्चित दिशा की भी तलाश करते हैं जिससे वे खनन गतिविधियों को जारी रख सकें।

उनमें से, एम/एस। जयपुर खनिज विकास सिंडिकल प्राइवेट लिमिटेड (2004 का आई. ए. Nos.1123-1124) ने एक याचिका दायर की है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 66 (4) उस पर लागू नहीं थी और इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में उनके द्वारा स्थापित एक लंबित रिट याचिका (2002 की रिट याचिका संख्या 570) का हवाला दिया गया है। उक्त आवेदन में [2022] 17 एस. सी. आर. के लिए अनुमति मांगी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आवेदक। (ii) 2003 के आई. ए. Nos.982-984 में आवेदक एक श्रीमती हैं। मगन देवी मीना। उसका मामला यह है कि उसे खनन क्षेत्र आवंटित किया गया था जो

थाली गाँव में आरक्षित वन/अभयारण्य के बाहर है और स्तंभ नं. 407 (वन/अभयारण्य क्षेत्र का सीमांकन बिंदु)। वह अनिवार्य रूप से 30 तारीख के पत्र की वैधता पर सवाल उठाती हैं।

मई 2003 में खनन अभियंता जयपुर, खनन अभियंता और भूविज्ञान विभाग, जयपुर, राजस्थान के कार्यालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें जमुआ रामगढ़ वन्यजीव के विवादित क्षेत्र में खनन कार्य को रोक दिया गया।

अभयारण्य और सीमांकन पूरा होने तक। (iii) आई. ए. सं. में। 1210-1211 2004 में, आवेदक मधु अग्रवाल हैं। उनकी प्रार्थना स्तंभ संख्या के नए सीमांकन के लिए है। 1 को

स्तंभ नं. 428 उक्त अभयारण्य के आसपास और उन्होंने राज्य सरकार से नए सीमांकन के बाद आरक्षित वन क्षेत्र से अतिरिक्त भूमि को छोड़ने का निर्देश देने की भी मांग की है। इस मामले में आवेदक डिगोटा वन खंड 61 के रायनवाला के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में जमुआ रामगढ़ तहसील में डोलोमाइट के खनन में शामिल रहा है।

((iv) आई. ए. संख्या। 1250-1251 2004 को शारदा देवी के हित में उत्तराधिकारी भूषण शर्मा द्वारा निकाला गया है, जो जमुआ रामगढ़ वन्यजीव के आसपास खनन का मूल आवंटनकर्ता था।

अभयारण्य। यह आवेदक का मामला है कि जमुआ रामगढ़ के विवादित क्षेत्र में खनन अभियंता और भूविज्ञान विभाग, जयपुर, राजस्थान के कार्यालय, खनन अभियंता जयपुर द्वारा 30 मई 2003 को जारी पत्र द्वारा उसके संचालन को रोक दिया गया है।

अभयारण्य। सर्वेक्षण से पता चला था कि वन्यजीव अभयारण्य के अंदर खनन गतिविधियां चल रही थीं। सी. ई. सी. की 27 मई 2003 की रिपोर्ट में पाया गया कि संकोट्टा और थाली, जो अभयारण्य के भीतर थे, के आसपास या दो गाँवों में कई खदानें काम कर रही थीं और सी. ई. सी. ने यह भी पाया कि एक समिति के पहले के निष्कर्ष को निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता था कि इसमें शामिल क्षेत्र एक गैर-वन भूमि थी और अभयारण्य के बाहर था। हालाँकि, राजस्थान राज्य ने 15 अप्रैल 2004 को अपने हलफनामे में इस बात की पुष्टि की है कि

सीमाएँ पहले ही बना ली गई हैं।

इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

(v) 2006 के आई. ए. सं. 1512 में, मेसर्स। अंधी मार्बल्स प्रा. लि. लिमिटेड आवेदक हैं। उन्होंने वन/अभयारण्य से 100 मीटर की सीमा तक भूमि को छोड़कर खनन कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति के लिए प्रार्थना की है।

(vi) 2015 के आई. ए. संख्या 3880 में, आवेदक राजस्थान राज्य है। इस आवेदन में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के ई. एस. जेड. जारी करने के लिए उचित निर्देश और 21 तारीख को सी. ई. सी. द्वारा जारी पत्र को स्थगित रखने की प्रार्थना की गई है।

4 अगस्त 2006 को पारित इस न्यायालय के आदेश के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है और हम बाद में इस फैसले में उक्त मुद्दों पर विचार करेंगे। राजस्थान राज्य ने कई अन्य हलफनामे दायर किए हैं और इन हलफनामों का सामान्य विषय प्रतिबंधों को हटाना और खनन गतिविधियों की अनुमति देना है। राज्य की अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाने के लिए संरक्षित वनों के आसपास। राज्य ने मौजूदा खनन गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी है

संरक्षित वनों और ईएसजेड के बाहर काम करें। यह भी उनकी

माना जाता है कि जमुआ रामगढ़ अभयारण्य में अधिकांश खनन क्षेत्र हैं।

वन के संचालन में आने से पहले स्वीकृत किए गए थे

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 और 31 मई 1982 को उक्त अभयारण्य की घोषणा।

14. जमुआ रामगढ़ अभयारण्य में खनन गतिविधियों के अलावा, सीईसी रिपोर्ट के संबंध में आवेदन भी लिए गए हैं।

उक्त रिपोर्ट पूरे देश में संरक्षित वनों से संबंधित है और उनके संरक्षण के लिए समान ईएसजेड मानदंडों पर विचार करती है। 14 जुलाई 2003 को, 27 दिसंबर 2002 की सी. ई. सी. की सिफारिशों को इस न्यायालय द्वारा 2003 के आई. ए. No.887 में स्वीकार कर लिया गया। उक्त अनुप्रयोग महाराष्ट्र राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ 64 आरा मिलों से संबंधित है। उस आवेदन का निपटान दो महीने की अवधि के भीतर उनके मामलों पर विचार करने के निर्देश के साथ किया गया था और यदि वे पात्र पाए जाते हैं, तो उनके आवेदनों को सीईसी को भेजने का निर्देश दिया गया था। उत्तरार्द्ध को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और महाराष्ट्र राज्य को उपरोक्त सिफारिशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

(i) 2005 के आई. ए. No.1412 में, आवेदक पूना टिम्बर मर्चेंट के साथ महाराष्ट्र टिम्बर लघु उद्योग महासंघ हैं। (
महाराष्ट्र राज्य में आरा मिलों के मालिक)।

एस. सी. आर. चाहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बॉम्बे वन नियम, 1942 में संशोधन करते हुए महाराष्ट्र राज्य द्वारा 16 जुलाई 1981 को जारी अधिसूचना के अनुसार लाइसेंस देने के लिए अनुदान के लिए 64 आरा मिल मालिकों के मामलों पर विचार करने के लिए 2003 के आई. ए. No.887 में पारित इस न्यायालय के आदेश का स्पष्टीकरण। इस न्यायालय ने उपरोक्त आदेश (14 जुलाई 2003 का) में निर्देश दिया था कि आवेदकों के मामलों की राज्य सरकार द्वारा दो महीने की अवधि के भीतर जांच की जा सकती है और यदि वे पात्र पाए जाते हैं, तो उनके आवेदनों को सीईसी को भेजा जा सकता है जो इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान आवेदन में आवेदक शर्त संख्या पर विचार करते हुए लाइसेंस का अनुदान चाहते हैं। 3 से

(ii) 2019 के आई. ए. संख्या 117831 में आवेदक महाराष्ट्र टिम्बर लघु उद्योग महासंघ के साथ-साथ पूना टिम्बर मर्चेंट हैं। (64 आरा मिलों के मालिक) आरा मिलों के संचालन के लिए लाइसेंस देने के संबंध में। वर्तमान आदेश में, हम 2003 के आई. ए. No.1000 से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही की अपनी जांच को सीमित कर रहे हैं। अतः उपरोक्त आवेदनों को स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

उपयुक्त पीठ के समक्ष।

15. 2019 के आई. ए. सं. 96949 में आवेदक राष्ट्र राज्य है। 11 दिसंबर 2018 को, इस न्यायालय ने 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसमें क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य भी शामिल था। यह आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिलेख और

टीएसः -

" विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह मुद्दा दिसंबर, 2006 में कुछ समय से लंबित है। 12 साल बीत गए लेकिन राज्य द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों के संबंध में सरकारें

ऊपर वर्णित अभयारण्य। इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि इन 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। यह घोषणा एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जल्द से जल्द की जाए।

राज्य सरकारों को एक प्रस्ताव लाने की स्वतंत्रता दी गई है

एम. ओ. ई. एफ. को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के केवल दो सप्ताह बाद प्रस्ताव के साथ इस आदेश में संशोधन के लिए आवेदन

फरवरी, 2019 के अंत में मामलों को सूचीबद्ध करें।

आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

इस बीच, अंतरिम आदेश जारी रहेगा। '

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

इस आवेदन में महाराष्ट्र राज्य की प्रार्थना है

पंखों का प्रभावः -

" (क) यह माननीय न्यायालय अपने दिनांकित आदेश में संशोधन करता है।

11.12.2018 निर्देश देते हुए कि चारों ओर 10 किलोमीटर का क्षेत्र

राज्य में स्थित ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य

महाराष्ट्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए पर्यावरण और वन मंत्रालय; और

ख) कि यह माननीय न्यायालय यह निर्देश देने के लिए प्रसन्न हो कि क्षेत्र

द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रस्तावित 0-3.5 किलोमीटर

राज्य सरकार ने 22.05.2019 पर मंत्रालय को

पर्यावरण और वन को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य का सम्मान; और

ग) माननीय के रूप में कोई अन्य आदेश और या निर्देश पारित करें।

न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझ सकता है।

वर्तमान मामले में।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

16. उसी अभयारण्य के संबंध में अन्य आवेदन इस प्रकार हैं -

रियल एस्टेट डेवलपर्स का संगठन, क्रेडाई-एमसीएचआई 2021 के No.65571 के रूप में पंजीकृत है। 2021 के आई. ए. No.65571 में मुख्य प्रार्थना हैः

“ (क) इस माननीय द्वारा पारित दिनांकित 11.12.2018 आदेश को संशोधित करें।

डब्ल्यू. पी. में आई. ए. सं. 1000 में न्यायालय। (ग) 1995 की सं. 202 क्योंकि यह ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से संबंधित है और सीधे

कि उक्त अभयारण्य के आसपास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र

द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 10.03.2021 के संदर्भ में हो

राज्य सरकार और दिनांकित मसौदा अधिसूचना

08.04.2021 पर्यावरण और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

वन, भारत सरकार; और/या

(ख) ऐसा अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय मान सके।

मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

17. 11 दिसंबर 2018 को इस अदालत ने आदेश पारित किया था।

21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में प्रस्ताव

ओ. टी. अभी तक पर्यावरण, वन मंत्रालय और [2022] 17 एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त किया गया है।

जलवायु परिवर्तन। वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में ई. एस. जेड. बनाए रखने के संबंध में सी. ई. सी. की सिफारिशें 20 सितंबर 2012 को की गई थीं। 11 दिसंबर 2018 को पारित आदेश के अनुसार, राज्य सरकार का प्रस्ताव एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के समक्ष रखा जाना था और ऐसा प्रतीत होता है कि ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से संबंधित 8 अप्रैल 2021 की एक मसौदा अधिसूचना एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. को कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मसौदा अधिसूचना के संबंध में अंतिम निर्णय लेने दें। यदि ऐसा निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के समापन पर न्यायालय के फिर से खुलने के एक सप्ताह बाद इस न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है। यदि ऐसा निर्णय नहीं है तब निर्णय छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार लिया जा सकता है और उसी समय सीमा के भीतर हमारे सामने रखा जा सकता है। यह न्यायालय इसके बाद उचित निर्देश पारित करने पर विचार करेगा।

ऐसा निर्णय।

18. 2007 के आई. ए. No.1992 में, एम. पी. राज्य खनन निगम

लिमिटेड ने निम्नलिखित राहतों के लिए आवेदन किया हैः

" आई. के लिए वर्तमान आवेदन दाखिल करने की अनुमति दें

ii. स्पष्ट करें कि अंतरिम आदेश में निहित निर्देश आई. ए. Nos.1413,1414 में इस माननीय न्यायालय का दिनांक <आई. डी. 2,

1454 आई. ए. संख्या में। 1413 , 1426 , 1428 , 1440 , 1439 , 1441 , 1444

1445 , 1459 और 1995 की रिट याचिका (सी) No.202 में 1460

(टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम। यूओआई और ओआरएस। केवल शामिल है

अस्थायी कार्य अनुमति (टी. डब्ल्यू. पी.) में खनन गतिविधि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामले

और यह कि उक्त निर्देश नियमित खदान पर लागू नहीं होते हैं

राजस्व भूमि पर पट्टा, विशेष रूप से जब ऐसी खदान पट्टा हो

राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले खनन निगम को प्रदान किया जाता है

स्वयं सरकार "।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

19. जहाँ तक इस आवेदन का संबंध है, हम दोहराते हैं कि

हम 2003 के आई. ए. No.1000 से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपट रहे हैं।

इस अनुप्रयोग का दायरा राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन और अन्य गतिविधियों और व्यक्तिगत संरक्षित वनों के आसपास ईएसजेड को बनाए रखने से संबंधित है। म. प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड द्वारा 2007 के आई. ए. सं. 1992 में मांगी गई राहत उस विषय के दायरे में नहीं आती है जिसे हम इस निर्णय/आदेश में संबोधित कर रहे हैं।

यह आरई मेंः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

खनन निगम कंपनी का आवेदन गैर-वन क्षेत्रों में अस्थायी कार्य परमिट के संबंध में है। इस आवेदन को भी अलग से संबोधित करना होगा।

20. मेसर्स के दो शपथ पत्र हैं। अंधी मार्बल्स प्रा. लि. लिमिटेड ने 19 फरवरी 2004 और 29 जुलाई 2004 को जमुआ रामगढ़ अभयारण्य से संबंधित पुष्टि की। उक्त मेसर्स के खिलाफ शिकायत। अंधी मार्बल्स उनके द्वारा दिए गए और संचालित खनन पट्टों के संबंध में है। 2003 की आई. ए. No.1000 में परिवर्तित सी. ई. सी. रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि उन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के साथ-साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करते हुए खनन पट्टे दिए गए थे। उन्होंने 12 दिसंबर 1996 के इस न्यायालय के आदेश के बाद अस्थायी परमिट पर काम करना जारी रखा था। [(1997) 2 एस. सी. सी. 267] में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया हैः

" 4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को आगे वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिक असंतुलन होता है और इसलिए, प्रावधान किए गए हैं। वनों के
संरक्षण और मामलों के लिए

इसके साथ जुड़े, स्वामित्व या उसके वर्गीकरण की प्रकृति के बावजूद सभी वनों पर लागू होना चाहिए। "वन" शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इस विवरण में सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे वे वन संरक्षण की धारा 2 (i) के उद्देश्य के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों।

एक्ट करें। धारा 2 में आने वाले "वन भूमि" शब्द में न केवल "वन" शामिल होगा जैसा कि शब्दकोश के अर्थ में समझा जाता है, बल्कि स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र भी शामिल होगा। इस तरह से होना चाहिए

अधिनियम की धारा 2 के प्रयोजन के लिए समझा गया। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में वनों के संरक्षण के लिए अधिनियमित प्रावधान और उससे जुड़े मामले उन सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होने चाहिए जिन्हें इस तरह से समझा जाता है, चाहे उनका स्वामित्व या वर्गीकरण कुछ भी हो। अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों में इस पहलू को बहुत स्पष्ट किया गया है। गुजरात राज्य [(1987) 1 एस. सी. सी. 212], ग्रामीण मुकदमा और हकदारी केंद्र बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1989 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 504] और हाल ही में दिनांक 29-11-1996 के आदेश में (सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाम. मसूरी

देहरादून विकास प्राधिकरण [डब्ल्यू. पी. (सी) 1995 का सं. 749 [2022] 17 एस. सी. आर.

29-11-1996] पर तय किया गया)। बिहार राज्य बनाम में इस न्यायालय का पूर्व निर्णय। इसलिए बंशी राम मोदी [(1985) 3 एस. सी. सी. 643] को बाद के इन तथ्यों के आलोक में समझा जाना चाहिए।

निर्णय लेते हैं। हम किसी भी राज्य सरकार या प्राधिकरण की धारणा में संदेह, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए इस न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न इस स्थिर स्थिति को दोहराना आवश्यक समझते हैं। यह राजस्थान राज्य की ओर से इस अंतिम चरण में भी ऐसे क्षेत्र में खनन के लिए दी गई अनुमतियों के संबंध में लिए गए रुख के कारण भी आवश्यक हो गया है जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है।

यह मान लेना उचित होगा कि कोई भी राज्य सरकार जो अब तक कानून में सही स्थिति को समझने में विफल रही है, वह तुरंत अपने रुख को ठीक करेगी और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगी।

बिना किसी और देरी के उपाय। "

21. 2003 के आई. ए. No.1000 में सी. ई. सी. का अवलोकन है कि 14 फरवरी 2000 के इस न्यायालय के आदेश और अस्थायी कार्य अनुमति के अनुसार अभयारण्य के अंदर किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं थी।

लागू वैधानिक प्रावधानों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन में प्रदान किया गया था क्योंकि इसमें शामिल क्षेत्र अभयारण्य के अंदर आता है। एम/एस। अंधी मार्बल्स प्रा. लि. लिमिटेड ने बचाव किया है कि उनकी खनन गतिविधियाँ जारी किए गए अस्थायी कार्य परमिट के संदर्भ में और एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में थीं। एक बात यह भी ली गई है कि अभयारण्य की सीमाओं को अधिसूचित नहीं किया गया था और उक्त क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 ए के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया है कि वन को कवर करने वाले खनन पट्टे को हटा दिया गया है

पट्टा दस्तावेज और वे 25 मीटर के सुरक्षा क्षेत्र से परे गैर-वन भूमि पर दो खदानों का संचालन करना चाहते हैं, जिसे राजस्थान राज्य की खनिज नीति, 1994 के हिस्से के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। वे वास्तव में वन सीमा से 25 मीटर से अधिक के क्षेत्र में खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने की भी मांग करते हैं।

22. 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों के संबंध में, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के वैज्ञानिक 'एफ' डॉ. सुब्रत बोस द्वारा पुष्टि/सत्यापित एमओईएफ एंड सीसी के हलफनामे में संदर्भित किया गया है। अंधी मार्बल्स प्रा. लि. लिमिटेड का कहना है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में कोई सहमति नहीं बनी है।

इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

23. एमओईएफ एंड सीसी की ओर से दायर हलफनामे में, जिसका हमने पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया है, यह कहा गया है कि

ईएसजेड की घोषणा के लिए दिशा-निर्देशों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। व्यक्तिगत संरक्षित वन क्षेत्र के संबंध में ईएसजेड के निर्माण के उद्देश्य से, उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 6 को हमारे संज्ञान में लाया गया है। ई. एस. जेड. की घोषणा के लिए एक विस्तृत पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। गोवा फाउंडेशन (डब्ल्यू. पी.) के मामले का उल्लेख करते हुए। (ग) No.435/2012), इस शपथ पत्र में कहा गया है कि 1 किलोमीटर या निर्दिष्ट ईएसजेड, जो भी अधिक हो, की दूरी के भीतर खनन गतिविधि प्रतिबंधित है।

24. मेसर्स की दलीलों पर। अंधी मार्बल्स प्रा. लि. लिमिटेड और एक अन्य पट्टाधारक, मुन्नी देवी ने बाद के हलफनामे में 29 अप्रैल को सत्यापित किया

2004 एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने उक्त फर्मों को कार्य अनुमति देने को उचित ठहराया था।

25. एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के अगले हलफनामे का 14 तारीख को सत्यापन किया गया था।

सितंबर 2005 और यह हलफनामा अभयारण्यों/जंगलों के बाहर की गतिविधियों के लिए बफर ज़ोन तय करने से संबंधित है। इस हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि 29 अप्रैल 2004 के पहले के हलफनामे में दिए गए विवरण के संबंध में मंत्रालय द्वारा उस समय पहले से ही टूटे हुए क्षेत्र में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देते हुए निर्णय लिया गया था।

जमुआ रामगढ़ सभी तथ्यात्मक विवरणों को शामिल नहीं कर सका और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के साथ सख्ती से संगत नहीं हो सकता है। इस हलफनामे में आगे कहा गया है कि मंत्रालय ने राज्य सरकार को खदानों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्देश दिया है।

26. 15 अप्रैल 2004,17 तारीख को कुल सात शपथ पत्र

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और आरक्षित वनों के आसपास खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। 25 मीटर के भीतर किया गया। जहाँ तक अन्य वन क्षेत्रों का संबंध है, उनकी स्थिति यह है कि खनन वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्र में किया जाना चाहिए। उन्होंने उचित कार्यवाही के बिना किसी भी अभयारण्य या अन्य संरक्षित वन और उनके ईएसजेड के आसपास की भूमि पर कब्जा करने या अधिग्रहण करने में कठिनाइयाँ व्यक्त की हैं। [2022] 17 एस. सी. आर. के भीतर खनन कार्यों के संबंध में।

जमुआ रामगढ़ के अभयारण्य क्षेत्र में, यह कहा गया है कि अभयारण्य के भीतर सभी खनन गतिविधियों को रोक दिया गया है। 12 अगस्त 2008 के अपने हलफनामे में राज्य द्वारा यह खुलासा किया गया है कि जमुआ रामगढ़ अभयारण्य के 100 मीटर के भीतर गैर-वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियां

बंद कर दिया गया है। उनकी याचिका स्थानीय आबादी के साथ-साथ राज्य के हित में आर्थिक गतिविधियों के लिए संरक्षित वनों के भीतर और 100 मीटर के ईएसजेड से परे गैर-वन क्षेत्रों में खनन गतिविधि की अनुमति देने के लिए है।

अर्थव्यवस्था। 27. राज्य द्वारा इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि राज्य द्वारा कुल 25 अभयारण्यों, 2 राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित किया गया है।

9,07,070 हेक्टेयर का क्षेत्र और 23,29,659 हेक्टेयर का क्षेत्र वन क्षेत्र या मानित वन के रूप में पहले से ही उस राज्य में पर्यावरण-संवेदनशील/पर्यावरण-नाजुक/बफर/सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में मौजूद है, जिसके भीतर कोई गैर-वन नहीं है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उचित अनुमति के बिना गतिविधियों की अनुमति है। राजस्थान राज्य ने अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा से 10 किलोमीटर दूर को ईएसजेड घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है।

28. राज्य की भूमिका को सुविधा प्रदाता तक सीमित नहीं रखा जा सकता है

तत्काल उत्थान के लिए आर्थिक गतिविधियों का सृजन

राज्य का भाग्य। राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक न्यासी के रूप में भी कार्य करना होगा ताकि दीर्घकालिक रूप से सतत विकास प्राप्त किया जा सके। राज्य की इस तरह की भूमिका आज इतिहास के किसी भी समय की तुलना में अधिक प्रासंगिक है, संभवतः वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जलवायु आपदा के खतरे के साथ।

गर्माहट बढ़ रही है। इस न्यायालय ने सार्वजनिक न्यास पर प्रकाश डाला है

एम. सी. मेहता बनाम के मामले में सिद्धांत। कमल नाथ और अन्य [(1997) 1 एस. सी. सी. 388] और राय दी कि सार्वजनिक न्यास सिद्धांत देश के कानून का हिस्सा है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 25 में, जैसा कि बताया गया है,

इस सिद्धांत को आधुनिक सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के प्रस्तावक, मिशिगन विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर, जोसेफ एल. सैक्स के लेखन के संदर्भ में समझाया गया हैः

" 25. सार्वजनिक न्यास सिद्धांत मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है -

कि वायु, समुद्र, जल और वन जैसे कुछ संसाधनों का समग्र रूप से लोगों के लिए इतना बड़ा महत्व है कि

उन्हें निजी विषय बनाने के लिए पूरी तरह से अनुचित होना

स्वामित्व। उक्त संसाधन प्रकृति का एक उपहार होने के कारण, उन्हें सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, चाहे वे कुछ भी हों।

जीवन में स्थिति। यह सिद्धांत सरकार को आई. एन. आर. ई. में आदेश देता हैः

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

निजी स्वामित्व के लिए उनके उपयोग की अनुमति देने के बजाय आम जनता के आनंद के लिए संसाधनों की रक्षा करना या

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। प्रोफेसर सैक्स द पब्लिक के अनुसार

विश्वास सिद्धांत निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता है -

सरकारी प्राधिकरणः

" सरकारी प्राधिकरण पर तीन प्रकार के प्रतिबंध अक्सर सार्वजनिक न्यास द्वारा लगाए जाने के बारे में सोचा जाता हैः पहला, न्यास के अधीन संपत्ति का उपयोग न केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि इसे आम जनता द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए; दूसरा, संपत्ति को उचित नकद समतुल्य के लिए भी नहीं बेचा जा सकता है; और तीसरा संपत्ति का रखरखाव किया जाना चाहिए।

विशेष प्रकार के उपयोगों के लिए "।

29. 30 अक्टूबर 2002,26 सितंबर 2005 और 13 फरवरी 2012 को पारित इसी रिट याचिका में इस न्यायालय के पहले के आदेशों में उक्त सिद्धांत पर भरोसा रखा गया है। जहाँ तक राजस्थान राज्य के विचारों का संबंध है, जैसा कि उनके हलफनामों और लिखित में परिलक्षित होता है।

590] , 4 अगस्त 2006 को इस कार्यवाही [2003 का आई. ए. 1000] में पारित आदेश को भी संदर्भित किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है। शपथ पत्र दिए गए हैं गोवा राज्य द्वारा दाखिल 19 सितंबर 2012 और 31 अक्टूबर 2012 को पुष्टि की गई। गोवा राज्य की मुख्य चिंता संरक्षित वनों की सीमाओं से 10 किलोमीटर के ई. एस. जेड. को बफर ज़ोन के रूप में बनाने पर है और उनकी ओर से यह भी तर्क दिया जाता है कि ऐसे बफर ज़ोन स्थल-विशिष्ट होने चाहिए। यह रेखांकित किया जाता है कि गोवा राज्य में वानस्पतिक हवाई क्षेत्र (2011 की भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार) 1 प्रतिशत से अधिक है और संरक्षित वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20 प्रतिशत से अधिक हैं। इस आधार पर वे उचित दिशा-निर्देश चाहते हैं। यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि ईएसजेड सीमाओं को निर्धारित करने वाले कई अभयारण्यों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

गोवा फाउंडेशन [डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं] द्वारा भी प्रस्तुतियाँ दायर की गई हैं। (ग) 460/2004] और W. P. (ग) 435/2012 जिसमें यह आग्रह किया गया है कि ई. एस. जेड. की न्यूनतम सीमा सी. ई. सी. की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए जिसमें विद्वान न्यायमित्र द्वारा किए गए संशोधनों/सुझावों को शामिल किया जाना चाहिए। जहाँ तक गोवा राज्य का संबंध है, गोवा फाउंडेशन (सुप्रा) के मामले में खनन गतिविधियों के दायरे से निपटा जा रहा है। वर्तमान आई. ए. में, हम उक्त मामले से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हम जो निर्देश देंगे, जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, जो गोवा फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामले में शामिल मुद्दों में शामिल नहीं हैं, वे संरक्षित वन और आसपास के क्षेत्रों पर लागू होंगे।

31. अभयारण्यों के बाहर की गतिविधियों के लिए बफर ज़ोन के बिंदु पर /

राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 21 जनवरी 2002 को आयोजित अपनी 21 वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण रणनीति को अपनाया। रणनीति दस्तावेज़ का पैराग्राफ 9 राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के बफर क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें लिखा गया हैः

" राष्ट्रीय सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि

उद्यानों और अभयारण्यों को पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 (वी) के तहत और

पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5, उप-नियम 5 (viii) और (x)।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

लेकिन यह उक्त हलफनामे से प्रतीत नहीं होता है जिसमें कहा गया था कि

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के रूप में 10 किलोमीटर को पारिस्थितिकी-नाजुक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था।

32. एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने अनिवार्य रूप से इसके पक्ष में तर्क दिया है

ई. एस. जेड. स्थल-विशिष्ट होगा और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने उपरोक्त दिशानिर्देशों में व्यक्तिगत राज्य सरकार से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। ऐसे मामलों में जहां इस तरह के प्रस्ताव नहीं आए हैं, वे चाहते हैं कि संरक्षित वनों की 10 किलोमीटर की परिधि को ईएसजेड के रूप में संरक्षित किया जाए। बफर ज़ोन के भीतर अनुमत गतिविधियों के संबंध में, कुछ कार्यों को विनियमित करने और ई. एस. जेड. के भीतर कुछ गतिविधियों की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। यह दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-I में निर्धारित किया गया है। हम पहले ही निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख कर चुके हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित गतिविधियों में शामिल हैंः

((i)

उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति से पेड़ों की कटाई।

अनुमोदित मास्टर के अनुसार होटल और रिसॉर्ट की स्थापना

((ख)

योजना, जो आवासों की देखभाल करती है, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है

जंगली जानवरों की आवाजाही।

आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

(iii)

कृषि प्रणालियों में भारी बदलाव।

((iv)

भूमि सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार जल संचयन, जो जंगली जानवरों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाले आवासों की देखभाल करता है।

प्रचार पर जोर देते हुए विद्युत तारों का निर्माण

(v)

भूमिगत केबलिंग।

(vi)

होटल और लॉज के परिसरों में बाड़ लगाना।

(vii)

दुकानदारों द्वारा पॉलिथीन थैलों का उपयोग।

(viii) उचित पर्यावरणीय प्रभाव के साथ सड़कों को चौड़ा करना।

मूल्यांकन।

(ix) वाणिज्यिक कार्यों के लिए रात में वाहनों की आवाजाही

उद्देश्य।

विदेशी प्रजातियों का परिचय।

(x)

(xi)

पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।

(xii) किसी भी प्रकार के वायु और वाहन प्रदूषण का विनियमन

(xiii) साइन बोर्ड और होर्डिंग लगाना।

अनुमेय गतिविधियों में शामिल हैंः

स्थानीय लोगों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धतियाँ

((i)

समुदाय।

वर्षा जल संचयन

(€ iii) जैविक खेती (£4) अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग (v) सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।

33. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के शपथ पत्र में, स्थायी समिति के गैर-आधिकारिक सदस्यों के विचारों को रिकॉर्ड पर रखा गया है, जो अनिवार्य रूप से विचार करता है।10 किलोमीटर के बफर क्षेत्र का निर्धारण। गोवा फाउंडेशन (डब्ल्यू. पी.) के मामले में इस न्यायालय द्वारा 1 दिसंबर 2006 को पारित आदेश। (सी) 460/ओ इस तरह के पाठ्यक्रम का पालन करने का प्रस्ताव करता है यदि अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईएसजेड के स्थल-विशिष्ट राशन में देरी होती है। पहलू पर-पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, [2022] 17 एस. सी. आर. के तहत विशिष्ट ई. एस. जेड.

1986 , राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का विचार सर्वसम्मत प्रतीत होता है। यह उनकी राय है कि कुछ संरक्षित क्षेत्र, उनके छोटे होने के कारण

34. हम सबसे पहले उन फर्मों और व्यक्तियों को शामिल करने के सवाल पर विचार करेंगे जिनके पास खनन करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति थी। जमुना रामगढ़ अभयारण्य में गतिविधियाँ। अंतर्वर्ती अनुप्रयोग।

जिन पर हम विचार कर रहे हैं, वे एक जनहित याचिका से उत्पन्न होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकृति के मुकदमे में पारित आदेश उन व्यक्तियों के एक बड़े समूह को प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें निम्न श्रेणियों में शामिल नहीं किया जा सकता है - कार्यवाही की स्थापना के समय पक्षकार। कुछ हद तक, इस तरह के मुकदमे एक इन-रेम चरित्र धारण करते हैं। आदर्श रूप से, ऐसी जनहित याचिका के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 के नियम VIII में अनुध्यात प्रक्रिया का पालन सार्वजनिक सूचना जारी करने या जनता को सामान्य सूचना देने की सीमा तक ऐसे तरीके से किया जा सकता है जिसे न्यायालय कार्यवाही की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए उचित और उचित समझे। लेकिन ऐसे मामलों में जहां ऐसा कोई मार्ग नहीं अपनाया गया है, प्रभावित व्यक्ति या पारित किसी आदेश से प्रभावित होने की संभावना

मुकदमेबाजी कार्यवाही में शामिल होने या भाग लेने का हकदार होगा। इस प्रकार, 2003 की आई. ए. सं. 984,2004 की आई. ए. सं. 1026 में अभियोग प्रार्थना,

2004 का आई. ए. सं. 1123,2004 का आई. ए. सं. 1197 और 2004 का आई. ए. सं. 1251 स्वीकृत हैं।

35. पर्यावरण क्षरण की शिकायतों से निपटने में न्यायालय का दृष्टिकोण इसी पीठ द्वारा इसी रिट याचिका में 9 मई 2022 को पारित एक आदेश में निर्धारित किया गया है। अनुप्रयोगों के एक और सेट के साथ। इस आदेश में यह माना और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 15. सतत विकास के सिद्धांत का पालन

यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। सतत विकास के सिद्धांत को लागू करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए, न्यायालयों को पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के साथ विकास की जरूरतों को संतुलित करने की आवश्यकता है। यह हमारे संविधान के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह सतत विकास के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक सुसंगत और समन्वित कार्यक्रम तैयार करे और उसे लागू करे। अंतर-पीढ़ीगत समता। जबकि आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी या आरई की कीमत पर नहीं होने दिया जाना चाहिएः

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

व्यापक पर्यावरण विनाश और उल्लंघन करना; साथ ही, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता से आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में बाधा नहीं आनी चाहिए

दूसरे शब्दों में कहें तो विकास नहीं होना चाहिए पर्यावरण की कीमत पर और इसके विपरीत, लेकिन उचित देखभाल करते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विकास होना चाहिए।

16. वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम। भारत संघ, इस न्यायालय ने माना कि 'एहतियाती सिद्धांत' सतत विकास के सिद्धांत की एक अनिवार्य विशेषता है। इसने निम्नलिखित में एहतियाती सिद्धांत की व्याख्या की:

शर्तें: -

(i) राज्य सरकार और वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरण संबंधी उपायों को पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाना, उन्हें रोकना और उन पर हमला करना चाहिए।

((ii) जहाँ गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति के खतरे हैं, वहाँ वैज्ञानिक निश्चितता की कमी का उपयोग पर्यावरण क्षरण को रोकने के उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) "सबूत की जिम्मेदारी" अभिनेता या विकासकर्ता/उद्योगपति पर यह दिखाने की है कि उनका कार्य पर्यावरण के लिए अनुकूल है।

17. एहतियात के सिद्धांत में पर्यावरणीय नुकसान की आशंका और इससे बचने के लिए उपाय करना या कम से कम पर्यावरणीय रूप से हानिकारक गतिविधि का चयन करना शामिल है। यह वैज्ञानिक अनिश्चितता पर आधारित है। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य, संपत्ति और आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहिए, बल्कि अपने लिए पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए।

एहतियाती कर्तव्यों को न केवल ठोस खतरे के संदेह से प्रेरित किया जाना चाहिए बल्कि उचित चिंता या जोखिम क्षमता से भी प्रेरित किया जाना चाहिए।

18. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब किसी गतिविधि को आगे बढ़ने की अनुमति देने के बाद पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है और यदि इसे रोक दिया जाता है, तो आर्थिक हित को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संदेह के मामले में, पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी

आर्थिक हित। यह आगे कहा गया कि एहतियात

सिद्धांत के अनुसार [2022] 17 एस. सी. आर. को रोकने के लिए अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता है।

हानि और उस हानि को उचित संदेह पर भी रोका जा सकता है। इसके अलावा, यह न्यायालय उक्त निर्णय में इस बात पर जोर देता है कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए पर्यावरण को नुकसान का प्रमाण।

वर्तमान सेट में अनुप्रयोगों से निपटने के दौरान

कार्यवाही में, हम उन्हीं सिद्धांतों का पालन करेंगे।

36. अब हम आवेदकों की प्रार्थनाओं की जांच करेंगे

अभयारण्य के भीतर अपनी खनन गतिविधियों को जारी रखना। यह राहत श्रीमती द्वारा मांगी गई है। मगन देवी मीणा (आई. ए. सं. 982-984 2003), एम/एस। अग्रवाल मार्बल्स सेंटर प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (आई. ए. नंबर। 1026-1028 2004), एम/एस। जयपुर खनिज विकास सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड (आई. ए. सं. 1123-1124 2004), फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (आई. ए. सं. 1197-1199 2004), भूषण शर्मा (आई. ए. संख्या। 1250-1251 2004) और एम/एस। अंधी मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड (2006 का आई. ए. सं. 1512)। हमें इशारा करना चाहिए।

यहाँ यह बताया गया है कि राजस्थान राज्य के हलफनामे में यह कहा गया है कि उन्होंने खेल अभयारण्य, आरक्षित वन, खनन गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र से 25 मीटर की दूरी बनाए रखने की नीति तैयार की थी। अन्य वन क्षेत्रों में, खनन वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में किया जा सकता है। नीति। 9 दिसंबर 2004 को दायर राजस्थान राज्य के हलफनामे में यह कहा गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा रुख 1994 की खनिज नीति से लिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि एक नया

(संरक्षण) अधिनियम, 1972 जिसमें सं. एफ. 11 (19) राज। - 8 / 81 जयपुर दिनांक 31 मई 1982 को आई. ए. सं. में जोड़ा गया है। 982-984 2003 का द उसमें आवेदक मगन देवी मीणा हैं। प्रारंभ में, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत उक्त अभयारण्य को आरक्षित वन घोषित किया गया था। इसके बाद, 31 मई 1982 की अधिसूचना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत लागू हुई।

आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

38. 2003 के आई. ए. No.1000 में, यह खुलासा किया गया है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 19 से 26 के तहत जयपुर के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारों का प्रावधान पूरा किया गया था। जहाँ तक 26 ए का संबंध है, जो क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है, उक्त प्रावधान को 2 अक्टूबर 1991 को कानून में शामिल किया गया था। वह संशोधन अधिनियम 44 के माध्यम से आया था। संशोधन के बाद, अधिनियम की धारा 18 में कहा गया हैः

" 18. अभयारण्य की घोषणाः

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्मिलित क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र के गठन के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है।

किसी भी आरक्षित वन या क्षेत्रीय जल के भीतर अभयारण्य यदि यह मानता है कि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त है

पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या

प्राणी विज्ञान का महत्व, संरक्षण के उद्देश्य से,

वन्य जीवन या उसके पर्यावरण का प्रचार या विकास करना।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, यथासंभव, ऐसे क्षेत्र की स्थिति और सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह होगा

सड़कों, नदियों, कटकों या अन्य द्वारा क्षेत्र का वर्णन करने के लिए पर्याप्त

अच्छी तरह से ज्ञात या आसानी से समझने योग्य सीमाएँ।

अधिनियम की धारा 26 ए, जिसे फिर से अधिनियम 44 91 द्वारा पेश किया गया था, कुछ नियमों के अनुपालन के बाद आगे की घोषणा पर विचार करती है।

विशिष्टताएँ। कोई अन्य संशोधन हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा, जैसा कि यह मूल रूप से थी, पढ़ती हैः

" 18. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर सकती है यदि वह मानती है कि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जंतु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान का है।

प्राकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व, के उद्देश्य के लिए

वन्यजीवों का संरक्षण, प्रचार या विकास करना या

पर्यावरण।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, यथासंभव, ऐसे क्षेत्र की स्थिति और सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह होगा

सड़कों, नदियों, कटकों या अन्य द्वारा क्षेत्र का वर्णन करने के लिए पर्याप्त

सुविख्यात या आसानी से समझने योग्य सीमाएँ। "[2022] 17 एस. सी. आर.

39. यह घोषणा राजस्थान राज्य द्वारा 1982 में की गई थी और हम इस तरह की घोषणा में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। संशोधित प्रावधान, इस प्रकार, जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर लागू नहीं हो सके। द. याचिका में कहा गया है कि इसे अभयारण्य का दर्जा नहीं है क्योंकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 ए के तहत कोई घोषणा बिना किसी आधार के नहीं है। हम इस क्रम में इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि जमुआ रामगढ़ एक जीवित अभयारण्य है।

40. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2003 के आई. ए. No.1000 में सी. ई. सी. ने अभयारण्य की स्थिति का एक भयानक विवरण दिया है, जो तबाह हो गया है।

खनन गतिविधियों द्वारा। सी. ई. सी. ने उसी दस्तावेज़ में उक्त अभयारण्य के महत्व को भी रेखांकित किया है। ये उक्त आई. ए. के पैराग्राफ 4 और 5 से दिखाई देंगे, जिसमें लिखा हैः

" 4. जमुआ रामगढ़ अभयारण्य की साइट यात्राओं के दौरान उपरोक्त के बिल्कुल विपरीत सी. ई. सी. को एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा

और वन (संरक्षण) अधिनियम, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और यहां तक कि इस माननीय न्यायालय के आदेशों के घोर उल्लंघन में अंधाधुंध खनन गतिविधि के कारण बर्बाद पारिस्थितिकी-प्रणाली की अविश्वसनीय तस्वीर। अभयारण्य बिखरा हुआ है

सैकड़ों गहरे खनन गड्ढे, बेतरतीब ढंग से "बोझ के ऊपर" बिखरे हुए, कई क्रेन और खनन किए गए पत्थर और पत्थर

हर जगह फैला हुआ। गैर-वन क्षेत्र में भी इस तरह का विनाश दुर्लभ है, कम से कम किसी अभयारण्य के अंदर। यह एक डरावनी कहानी है जिस पर विश्वास करने के लिए देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सभी कानून और सम्मेलन जो प्राकृतिक व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। वाणिज्यिक लाभ के लिए दुनिया का उल्लंघन किया गया है। एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रबंधित होने के बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे एक खनन अभयारण्य के रूप में प्रबंधित किया गया था। वर्तमान रूप में इस क्षेत्र का नाम बदलकर "जमुआ" रखना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

रामगढ़ वन्यजीव कब्रिस्तान "। एक फोटोग्राफिक रिपोर्ट है

यहाँ जोड़ा गया है

अनुलग्नक-जमीनी स्थिति को चित्रात्मक रूप से दिखाना।

5. जमुआ रामगढ़ का जंगल झील का महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र है जो जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। इसके बावजूद 69 खनन पट्टों पर

जमुआ रामगढ़ में समय-समय पर मंजूरी के बाद

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का अधिनियमन अर्थात 25.10.1980 . प्रत्येक खदान को उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी गई थी

एफ. सी. अधिनियम के साथ-साथ आई. एन. आर. ई. के प्रावधानः

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम। कोई बोधगम्य प्रयास नहीं किया गया

एफ. सी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खानों को विनियमित करना और

डब्ल्यू. पी. अधिनियम। कोई वैध और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

खनन पट्टों की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा

वर्षों तक एक साथ काम करें सिवाय इसके कि यह एक आम था

वन क्षेत्र/अभयारण्य में खनन पट्टों की अनुमति देने का अभ्यास

F.C.Act के तहत विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना या

W.P.Act। इन खदानों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है

बी "।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

41. राजस्थान राज्य ने अपने हलफनामों में उल्लेख किया था कि

पारिस्थितिक अनिवार्यताओं और संरक्षित क्षेत्र की जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक स्थान पर ईएसजेड-विशिष्ट, मामले-दर-मामले के आधार पर। उक्त समिति का यह भी विचार था कि इस संबंध में व्यक्तियों और संस्थानों से विशेषज्ञ राय और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। वस्तुतः समिति का विचार है कि एक समान ई. एस. जेड. नहीं होना चाहिए। हमने 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया है जो ई. एस. जेड. को विकसित करने और ऐसे क्षेत्रों में की जा सकने वाली गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया देता है। गोवा फाउंडेशन के मामले में इस न्यायालय का आदेश [डब्ल्यू. पी. (सी) 4 दिसंबर 2006 को पारित 2004 का No.460 ने अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में सीमाओं से 10 किलोमीटर चौड़े सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखने के लिए निर्देश के मुद्दे पर भी विचार किया क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न पहलुओं पर प्रश्नों के संबंध में प्रतिक्रिया की कमी थी। वन्यजीव संरक्षण का सम्मान। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं से 10 किलोमीटर की दूरी पर ई. एस. जेड. बनाने का प्रस्ताव [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे मूल रूप से 21 जनवरी 2002 को भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में रखा गया था, जैसा कि गोवा फाउंडेशन [डब्ल्यू. पी.] के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रतीत होता है। (ग) 2004 का No.460] 30 जनवरी 2006 को। हमें सीईसी सहित इन विशेषज्ञों के निकायों के विचारों का मिलान करना होगा, जो इस मुकदमे के विभिन्न चरणों के माध्यम से इस न्यायालय की सहायता कर रहे हैं।

42. हमारी राय में, 9 फरवरी 2011 को बनाए गए दिशानिर्देश उचित प्रतीत होते हैं और हम स्थायी के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं।

समिति कि इस संबंध में एक समान दिशानिर्देश संभव नहीं हो सकते हैं ईएसजेड के रखरखाव के लिए प्रत्येक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। हम उनमें से हैं

तथापि, राय है कि संरक्षित वनों के संबंध में न्यूनतम 1 किलोमीटर ई. एस. जेड. की चौड़ाई बनाए रखी जानी चाहिए, जो श्रेणी बी संरक्षित वनों के संबंध में सी. ई. सी. की सिफारिशों का हिस्सा है। यह मानक सूत्र होगा, विशेष में परिवर्तन के अधीन

परिस्थितियाँ। हमने सी. ई. सी. की इस सिफारिश पर विचार किया है कि ई. एस. जेड. को संरक्षित वन से आच्छादित क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, लेकिन स्थायी समिति का विचार है कि संरक्षित वन का क्षेत्र हमेशा एक उचित मानदंड नहीं हो सकता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि 1 किलोमीटर चौड़ा "नो-डेवलपमेंट-जोन" सभी मामलों में संभव नहीं हो सकता है और संजय गांधी के लिए विशिष्ट उदाहरण दिए गए थे।

क्रमशः महानगर जिनमें शहरी गतिविधियाँ बहुत निकटता में हैं। ये अभयारण्य विशेष मामले बनाएँगे। 43. विशेष रूप से जमुआ रामगढ़ अभयारण्य की ओर मुड़ते हुए, सीईसी की पहली रिपोर्ट में 100 मीटर को ईएसजेड के रूप में प्रस्तावित किया गया था। दूसरी रिपोर्ट में, हालांकि, श्रेणी 'बी' के तहत आने वाले सभी संरक्षित वनों के लिए एक किलोमीटर चौड़ाई की सिफारिश की गई है। अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, उक्त अभयारण्य उस श्रेणी में आता है। 4 अगस्त 2006 को पारित इस न्यायालय के आदेश में, समान सीमा, यानी बफर ज़ोन के रूप में एक किलोमीटर निर्धारित किया गया है। जमुआ रामगढ़ से संबंधित दिए गए तथ्यों में

अभयारण्य, हमारी राय में राजस्थान राज्य की 1994 की खनिज नीति में 25 मीटर की सीमा पर विचार किया गया है जो पूरी तरह से अपर्याप्त है। हम,

हालाँकि, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य को अतीत की तरह ईएसजेड को ठीक करने के लिए एक विशेष मामले के रूप में माना जाता है, बफर ज़ोन 25 मीटर से 100 मीटर तक भिन्न होता है। हमारी राय में, 500 मीटर का ईएसजेड एक उचित बफर जोन होगा, जिसके भीतर 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध सूची में नहीं आने वाली मौजूदा गतिविधियों को चलाया जा सकता है। लेकिन किसी भी नई गतिविधि की शुरुआत के लिए जो अन्यथा होगी।

एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

जमुआ के लिए एक किलोमीटर का ईएसजेड मानक बनाए रखा जाएगा।

इन्क्चुअरी।

ई तदनुसार निर्देश देते हैं:

प्रत्येक संरक्षित वन, जो कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य है, में ऐसे संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से कम से कम एक किलोमीटर का ई. एस. जेड. होना चाहिए जिसमें गतिविधियाँ निषिद्ध और निर्धारित की गई हों।

9 फरवरी, 2011 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के लिए, यह 500 होगा।

जहाँ तक निर्वाह गतिविधियों का संबंध है, मीटर।

हालाँकि, यदि ई. एस. जेड. पहले से ही कानून के अनुसार निर्धारित है जो एक किलोमीटर बफर ज़ोन से परे जाता है, तो ई. एस. जेड. के रूप में व्यापक मार्जिन प्रबल होगा। यदि एक किलोमीटर से अधिक व्यापक बफर जोन किसी भी वैधानिक प्रावधान के तहत प्रस्तावित है।

किसी विशेष राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के लिए उपकरण जो उस संबंध में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है, तब तक जब तक ऐसा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, ईएसजेड एक से परे के क्षेत्र को कवर करता है। प्रस्तावित किलोमीटर को बनाए रखा जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के साथ-साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के गृह सचिव भी उक्त दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ई. एस. जेड. के भीतर उपयोग की प्रकृति का संबंध रखता है।

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संबंधित ई. एस. जेड. के भीतर मौजूदा संरचनाओं और अन्य प्रासंगिक विवरणों की एक सूची बनाने की भी व्यवस्था करेंगे और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा एक अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

तीन महीने। इस उद्देश्य के लिए, ऐसा प्राधिकरण किसी भी सरकारी एजेंसी की सहायता लेने का हकदार होगा। ड्रोन का उपयोग करके उपग्रह इमेजिंग या फोटोग्राफी।

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन

इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि किसी भी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, जो [2022] 17 एस. सी. आर., के एक किलोमीटर या विस्तारित बफर ज़ोन (ई. एस. जेड.) के भीतर पहले से ही कोई गतिविधि की जा रही है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध गतिविधियों के दायरे में नहीं आती है, ऐसी गतिविधियाँ प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुमति से जारी रह सकती हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा। इस तरह

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के इस बात से संतुष्ट होने के बाद अनुमति दी जाएगी कि संबंधित गतिविधियाँ निषिद्ध सूची में नहीं आती हैं और इस आदेश को वैध रूप से पारित करने से पहले जारी थीं।

तरीके से। ई. एस. जेड. के भीतर किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी नए स्थायी ढांचे को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई. एस. जेड. की न्यूनतम चौड़ाई को भारी जनहित में कम किया जा सकता है, लेकिन उस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सी. ई. सी. और एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. से संपर्क करेंगे और ये दोनों निकाय इस न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी राय/सिफारिशें देंगे। उस आधार पर, यह न्यायालय उचित आदेश पारित करेगा।

इस घटना में सीईसी, एमओईएफ एंड सीसी, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय

या पर्यावरण के मुद्दों में विशेष रुचि रखने वाला व्यक्ति किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में एक व्यापक या बड़े ईएसजेड को बनाए रखने के लिए इसे आवश्यक मानता है, ऐसा निकाय या व्यक्ति सीईसी से संपर्क करेगा। ऐसी स्थिति में सी. ई. सी. किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव के संबंध में व्यापक ई. एस. जेड. की आवश्यकता की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अभयारण्य संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. के साथ-साथ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति सहित सभी हितधारकों के परामर्श से और फिर अपनी सिफारिशों के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है।

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव नहीं दिया गया है, 10 किलोमीटर के बफर ज़ोन को ई. एस. जेड. के रूप में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 4 दिसंबर 2006 को पारित आदेश में संकेत दिया गया है। गोवा फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामले और 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशों में भी निहित मामले को लागू किया जाएगा। उस क्षेत्र के भीतर, ई. एस. जेड. से संबंधित प्रतिबंधों का पूरा समूह उस संबंध में अंतिम निर्णय होने तक काम करेगा।

आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

((i)

2005 का आई. ए. सं. 1412 और 2019 का <आई. डी. 1 नहीं है।

2003 के आई. ए. No.1000 में शामिल मुद्दों से संबंधित है। इन आवेदनों को स्वतंत्र रूप से सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जा सकता है। इसी कारण से 2007 का आई. ए. No.1992 भी होगा

(1)

उचित पीठ द्वारा स्वतंत्र रूप से निपटा गया और इस आवेदन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। स्टेज।

(के)

राजस्थान राज्य का आवेदन आई. ए. के रूप में पंजीकृत है।

2015 का No.3880 पारित आदेश के स्पष्टीकरण से संबंधित है।

गोवा फाउंडेशन के मामले में (डब्ल्यू. पी. (ग) 2004 का No.460)। इस आवेदन को सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष रखा जाए

गोवा फाउंडेशन का मामला।

(1)

2019 का I.A.No.96949 और 2021 का I.A.No.65571 हैं

इस निर्देश के साथ निपटाया गया कि एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के साथ-साथ सी. ई. सी. भी महाराष्ट्र राज्य द्वारा 0-3.89 किलोमीटर की सीमा तक ई. एस. जेड. के लिए किए गए मसौदा प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा और एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. अंतिम निर्णय लेगा। तीन महीने की अवधि के भीतर उस आधार पर निर्णय, यदि कहा गया है कि निर्णय पहले से ही नहीं लिया गया है।

(एम) आई. ए. सं. में आवेदकों को शामिल करने के लिए प्रार्थना। 984

2003 का 1026,2004 का 1123,2004 का 1197 और 2004 का 1251 स्वीकृत हैं। आवश्यक संशोधन हो सकते हैं - इस संबंध में किया गया।

हालाँकि, पहले से दिए गए कारणों के लिए, प्रार्थनाएँ

(एन)

2003 का आई. ए. Nos.982,2004 का 1027,2004 का 1124,2004 का 1198,2004 का 1210,2004 का 1250 और 1512 में आवेदक

2006 अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

(0)

सी. ई. सी. वसूली के लिए मुआवजे की मात्रा निर्धारित करेगा।

खनन गतिविधियों में शामिल प्रत्येक खनिक से

जमुआ रामगढ़ अभयारण्य किसी भी वैधानिक उल्लंघन में

इस न्यायालय का प्रावधान या आदेश। विशिष्ट अनुशंसाएँ

प्रतिपूरक वनीकरण, सुधार, सफाई के लिए

वन संसाधनों के क्षरण के लिए मौद्रिक इकाइयों में अतिरिक्त बोझ डालने के साथ-साथ क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। [2022] 17 एस. सी. आर. के अंतर्गत आने वाले धरती पर चलने वाले उपकरणों और अन्य मशीनरी को जब्त करने से संबंधित सिफारिशों का एक और समूह।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस न्यायालय के समक्ष चार महीने के रूप में आवेदन। यह न्यायालय इस तरह के आवेदन को देखने के बाद उचित आदेश पारित करने पर विचार करेगा। व्यायाम

परिमाणीकरण सहित इस तरह के मुआवजे के संबंध में

खनन संचालक, राज्य और एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. को सुनवाई का अवसर देने पर मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसी उच्च न्यायालय या ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय का कोई आदेश मौजूद है, जिसमें कोई

इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा निपटाए गए मुद्दों में से, यह आदेश ऐसे किसी भी आदेश पर प्रबल होगा जो इसके विपरीत हो सकता है -

इन दिशाओं में। हम पहले ही देख चुके हैं कि इस रिट याचिका और गोवा फाउंडेशन (2004 की रिट याचिका (सी) No.460) और (2012 की रिट याचिका (सी) No.435) के मामलों में कुछ अतिव्यापी मुद्दे शामिल हैं। हम भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे वर्तमान रिट याचिका पर विचार करें अर्थात पुनः: टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम। भारत संघ और अन्य। , डब्ल्यू. पी. (ग) 2004 का No.460 (गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ) और डब्ल्यू. पी. (ग) 2012 का No.435 (गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ और अन्य) एक ही पीठ के समक्ष एक साथ सुना जाए। रजिस्ट्री इस आदेश को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख सकती है

भारत।

उनका आदेश 2003 के आई. ए. No.1000 का उपरोक्त में निपटान करता है।

समाप्त करने वाले आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

आई. ए. का निपटान

अदनान खान, एलसीआरए)